



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 222]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 2011/वैशाख 9, 1933

No. 222]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 2011/VAISAKHA 9, 1933

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2011.

अधिसूचना

सां.का.नि. 349(अ).— केन्द्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 है।
(2) ये नियम, उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसको विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) प्रवृत्त होगा।
2. परिभाषाएं - (1) इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
(क) "अधिनियम" से विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 अभिप्रेत है;
(ख) "चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट" का वही अर्थ है जो चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ख) में है;
(ग) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध कोई प्ररूप अभिप्रेत है;
(घ) "धारा", अधिनियम की धारा से अभिप्रेत है;
(ङ) "वर्ष" से, अप्रैल से आरम्भ होने वाला और अगले कैलेंडर वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाला/वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है;
(2) शब्दों और अभिव्यक्तियों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।
3. कोई संगठन जो राजनैतिक दल नहीं है, को राजनैतिक प्रकृति का संगठन घोषित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त - केन्द्रीय सरकार, किसी संगठन को, निम्नलिखित आधारों में से किसी एक अथवा अधिक के आधार पर, राजनीतिक प्रकृति का संगठन घोषित कर सकेगी :-
(i) संगठन के संगम जापन अथवा उपविधियों में राजनीतिक उद्देश्य प्रकट हैं;
(ii) कोई ऐसी ट्रेड यूनियन जिसके उद्देश्यों में राजनीतिक लक्ष्यों का संवर्धन करने वाली गतिविधियां सम्मिलित हैं;
(iii) कोई ऐसा स्वैच्छिक कार्य समूह जिसके उद्देश्य राजनीतिक प्रकृति के हैं अथवा जो राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं;

- (iv) किसी राजनैतिक दल के छात्र संघ, कर्मकार संघ, युवा मंच और महिला स्कंध जैसे प्रमुख या सामूहिक संगठन;
- (v) किसानों, कर्मकारों, विद्यार्थियों, युवाओं के जाति, समुदाय, धर्म, भाषा अथवा अन्यथा आधार पर ऐसे संगठन जो किसी राजनैतिक दल से सीधा सम्बन्ध नहीं रखते हैं, परन्तु अन्य एकत्रित तात्त्विक साक्ष्यों में जिनके संगम के जापन में यथाउल्लिखित उद्देश्यों अथवा गतिविधियों में ऐसे समूहों के राजनीतिक हितों का पोषण करने के उपाय करना शामिल होने के ठोस प्रमाण हैं;
- (vi) कोई ऐसा संगठन, चाहे किसी भी नाम से जाना हो, जो सार्वजनिक हित के समर्थन में 'बंद', या 'हड़ताल', 'रास्ता रोको', 'रेल रोको' अथवा 'जेल भरो' जैसे राजनैतिक कार्रवाई के सामान्य तरीकों में आदतन लगा रहता हो।
4. सट्टेबाजी की गतिविधियाँ - (1) निम्नलिखित गतिविधियों को सट्टेबाजी की गतिविधियाँ माना जाएगा :-
- (क) न्युचुअल फंड या शेयरों में निवेश सहित कोई ऐसी गतिविधि अथवा निवेश, जो बाजार बलों से सम्बन्धित हो, जिसमें मूल निवेश से बढ़ोतरी अथवा कमी होने का जोखिम हो;
- (ख) किसी ऐसी स्कीम में भागीदारी, जो उच्च प्रतिफल का वचन देती हो, जैसे चिट अथवा भूमि अथवा ऐसी ही आस्तियों में, जिनका संगठन अथवा विनिधान संघ के घोषित लक्ष्यों और उद्देश्यों से सीधा सम्बन्ध न हो।
- (2) ऋण-आधारित प्रतिभूति विनिधान को सट्टेबाजी विनिधान नहीं माना जाएगा।
- (3) प्रत्येक संघ द्वारा निवेशों का एक पृथक रजिस्टर रखा जाएगा।
- (4) उप-नियम (3) के अधीन अनुरक्षित ऐसा प्रत्येक रजिस्टर लेखा-परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
5. प्रशासनिक व्यय - निम्नलिखित को प्रशासनिक व्यय माना जाएगा :-
- (i) वेतन, मजदूरी, यात्रा व्यय अथवा संगठन की कार्यकारी समिति अथवा अधिशासी परिषद के सदस्यों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कोई पारिश्रमिक;
- (ii) संगठन के क्रियाकलापों के प्रबन्धन के लिए रखे गए कार्मिकों के सभी व्यय और वेतन, ऐसे कार्मिकों की यात्रा लागत सहित उन्हें दी गई मजदूरी अथवा किसी प्रकार का पारिश्रमिक;
- (iii) खपने वाली वस्तुओं जैसे बिजली और पानी प्रभार, टेलीफोन प्रभार, डाक प्रभार, संगठन अथवा संगम के कार्यकरण के परिसर (परिसरों) की मरम्मत, लेखन सामग्री एवं मुद्रण प्रभार, कार्यकारी समिति अथवा अधिशासी परिषद के सदस्यों का परिवहन एवं यात्रा प्रभार और कार्यालय उपस्करों पर किए गए व्यय से सम्बन्धित सभी व्यय;
- (iv) निधियों का लेखा जोखा रखने और उनके प्रशासन की लागत;
- (v) यानों को चलाने और रख-रखाव पर लागत;
- (vi) रिपोर्ट लिखने और दाखिल करने पर लागत;
- (vii) विधिक एवं वृत्तिक प्रभार; और
- (viii) परिसर का किराया, परिसरों की मरम्मत और अन्य उपयोगिताओं पर व्यय;
- परन्तु यह कि मुख्य रूप से अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण में लगे किसी संगम में प्रशिक्षण के लिए लगाए गए कार्मिकों के वेतन अथवा पारिश्रमिक पर या फील्ड डाटा के एकत्रीकरण अथवा विश्लेषण पर किए गए व्यय को प्रशासनिक व्यय नहीं माना जाएगा;
- परन्तु यह भी कि कल्याण उन्मुखी संगठनों के कथित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से किए गए व्यय, जैसे कि अस्पताल के चिकित्सकों को दिया जाने वाला वेतन, विद्यालय के अध्यापकों को दिया जाने वाला वेतन आदि को प्रशासनिक व्ययों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
6. नातेदारों से विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की सूचना -
- यदि कोई व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष में अपने किसी नातेदार से एक लाख रुपये अथवा उससे अधिक का विदेशी अभिदाय प्राप्त करता है तो वह ऐसा अभिदाय प्राप्त करने के तीस दिनों के भीतर इसकी सूचना प्ररूप एफ.सी.-1 में केन्द्रीय सरकार को देगा।
7. विशिष्ट प्रवर्गों के व्यक्तियों द्वारा विदेशी आतिथ्य प्राप्त करना -
- (1) धारा 6 में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में से किसी भी प्रवर्ग से सम्बन्धित कोई व्यक्ति यदि विदेशी आतिथ्य स्वीकार करना चाहता है तो वह ऐसा विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने के लिए प्ररूप एफ.सी.-2 में केन्द्रीय सरकार की पूर्वा अनुज्ञा प्राप्त करेगा।
- (2) विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने के प्रत्येक आवेदन के साथ यथा स्थिति मेजबान व्यक्ति अथवा मेजबान देश का आमन्त्रण पत्र और यदि यात्रा, सरकार के किसी मंत्रालय अथवा विभाग द्वारा प्रायोजित की गई हो तो सम्बन्धित मंत्रालय अथवा विभाग की प्रशासनिक अनापति संलग्न की जानी चाहिए।
- (3) विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने की अनुमति प्राप्त करने का आवेदन, यात्रा की सम्भावित तारीख से सामान्यतः दो सप्ताह पहले समुचित प्राधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए।
- (4) विदेश यात्रा के दौरान अचानक बीमार हो जाने के कारण आकस्मिक चिकित्सा सहायता के मामले में विदेशी आतिथ्य को स्वीकार करने की सूचना, इसके स्रोत, भारतीय रुपये में अनुमानित मूल्य और इसके उद्देश्य तथा उसके उपयोग के प्रयोजन सहित पूर्ण विवरण देते हुए, केन्द्रीय सरकार को ऐसा आतिथ्य प्राप्त करने के साठ दिनों के भीतर दी जानी अपेक्षित है। परन्तु यह कि यदि आकस्मिक चिकित्सा सहायता के मामले में ऐसे आतिथ्य का मूल्य एक लाख रुपये तक अथवा उसके बराबर है तो ऐसी सूचना देना अपेक्षित नहीं है।

8. अधिनियम का उल्लंघन करके प्राप्त की गई वस्तुओं, मुद्रा अथवा प्रतिभूति के सम्बन्ध में कार्रवाई -
- (1) केन्द्रीय सरकार, किसी वस्तु, मुद्रा अथवा प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में अधिनियम के उल्लंघन के लिए एक प्रतिषेधात्मक आदेश जारी कर सकेगी।
 - (2) उप-नियम (1) के अधीन जारी किया गया प्रतिषेधात्मक आदेश की सम्बन्धित व्यक्ति को निम्नलिखित रूप में तामील की जाएगी :-
 - (क) उस व्यक्ति को अथवा उसके सम्यक्तः प्राधिकृत अभिकर्ता को परिदत्त करके अथवा विनिदान करके; अथवा
 - (ख) पावती सहित 'रजिस्ट्रीकृत डाक' अथवा 'स्पीड पोस्ट द्वारा', उसके ज्ञात अन्तिम निवास स्थान पर या उस स्थान को जहाँ वह अपना कारबार करता है या यह जानकारी है/थी कि वह अपना कारबार करता था या उस स्थान को जहाँ वह अभिलाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है या जहाँ यह ज्ञात है कि उसने अन्तिम बार अभिलाभ के लिए कार्य किया था और व्यक्ति के कोई संगठन अथवा संगम की दशा में ऐसे संगठन या संगम के अन्तिम ज्ञात पते पर; अथवा
 - (ग) यदि उपर्युक्त में से किसी भी रीति में इसकी तामील नहीं हो पाती है तो उस परिसर अथवा जहाँ वह रहता है अथवा जहाँ वह पिछली बार रह रहा था, व्यवसाय कर रहा था अथवा उस स्थान जहाँ वह अभिलाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य कर रहा हो अथवा जहाँ उसने अभिलाभ के लिए पिछली बार कार्य किया हो, के मुख्य दरवाजे पर या किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा कर दिया जाएगा और यदि वह कोई संगठन अथवा संगम है तो उसे, उस संगठन अथवा संगम के कार्यालय अथवा पिछली बार जहाँ उसका कार्यालय था के मुख्य दरवाजे पर या किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा कर दिया जाएगा और कम से कम दो व्यक्तियों की गवाही में उसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी।
9. विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए 'रजिस्ट्रेशन' अथवा 'पूर्व अनुज्ञा' प्राप्त करने के लिए आवेदन -
- (1)(क) किसी व्यक्ति द्वारा, धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, प्ररूप एफ.सी.-3 में इलैक्ट्रानिकली ऑन-लाइन किया जाना चाहिए और तदुपरान्त ऑन-लाइन आवेदन की मुद्रित प्रति संगम के मुख्य कार्यकारी द्वारा हस्ताक्षरित सभी अपेक्षित दस्तावेजों सहित भेजी जाएगी।
 - (ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट ऑन-लाइन आवेदन की मुद्रित प्रति, ऑन लाइन आवेदन प्रस्तुत करने के तीस दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार के पास पहुंच जानी चाहिए, ऐसा न हो सकने पर व्यक्ति के अनुरोध को समाप्त मान लिया जाएगा।
 - (ग) यदि किसी व्यक्ति का अनुरोध उप-नियम (1) के खंड (ख) के अधीन समाप्त हो गया है तो वह पूर्वआवेदन के समाप्त होने की तारीख से छह माह के उपरान्त ही केन्द्रीय सरकार को नया ऑन-लाइन आवेदन कर सकेगा।
 - (घ) रजिस्ट्रेशन की वांछा रखने वाले व्यक्ति के लिए विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए एक अनन्य बैंक खाता खोलना अपेक्षित होगा।
 - (ङ) व्यक्ति, विदेशी अभिदाय प्राप्त होने के उपरान्त इसका उपयोग करने के लिए एक से अधिक बैंकों में एक से अधिक खाते खोल सकेगा, ऐसे सभी मामलों में, खाता खोलने के पन्द्रह दिन के भीतर, सूचना सादे कागज पर सचिव, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को दी जाएगी।
 - (2)(क) किसी व्यक्ति द्वारा, धारा 11 की उप-धारा (2) के अधीन विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन, प्ररूप एफ.सी.-4 में इलैक्ट्रानिकली ऑन-लाइन किया जाना चाहिए और तदुपरान्त ऑन-लाइन आवेदन की मुद्रित प्रति संगम के मुख्य कार्यकारी द्वारा हस्ताक्षरित सभी अपेक्षित दस्तावेजों सहित भेजी जाएगी।
 - (ख) ऑन-लाइन आवेदन की मुद्रित प्रति, ऑन लाइन आवेदन प्रस्तुत करने के तीस दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार के पास पहुंच जाएगी, ऐसा न हो सकने पर व्यक्ति के अनुरोध को समाप्त मान लिया जाएगा।
 - (ग) यदि किसी व्यक्ति का अनुरोध उप-नियम (2) के खंड (ख) के अधीन समाप्त हो जाता है तो वह पूर्व आवेदन के समाप्त होने की तारीख से छह माह के उपरान्त ही केन्द्रीय सरकार को ऑन-लाइन आवेदन कर सकेगा।
 - (घ) इस नियम के अधीन पूर्व अनुज्ञा की वांछा रखने वाले व्यक्ति के लिए विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए एक अनन्य बैंक खाता खोलना अपेक्षित होगा।
 - (ङ) इस नियम के अधीन पूर्व अनुज्ञा की वांछा रखने वाला व्यक्ति, विदेशी अभिदाय प्राप्त होने के उपरान्त इसका उपयोग करने के लिए एक से अधिक बैंकों में एक से अधिक खाते खोल सकेगा, ऐसे सभी मामलों में, खाता खोलने के पन्द्रह दिन के भीतर सूचना, सादे कागज पर सचिव, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को दी जाएगी।

- (3) कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण अथवा पूर्व अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त उसी परियोजना अथवा रजिस्ट्रीकरण के लिए छह माह की अवधि के भीतर दूसरा आवेदन नहीं करेगा।
- (4)(क) पूर्व अनुज्ञा के लिए आवेदन, 1000/- रुपये (एक हजार रुपये मात्र) की फीस के साथ किया जाएगा।
- (ख) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, 2000/- रुपये (दो हजार रुपये मात्र) की फीस के साथ किया जाएगा।
- (ग) केन्द्रीय सरकार समय-समय पर फीस का पुनरीक्षण कर सकेगी।
- (घ) यथा लागू फीस, वेतन एवं लेखा अधिकारी, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में देय डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक के माध्यम से प्रदत्त की जाएगी।
- (5) उप-नियम (1) से (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विदेशी मुद्रा अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) के अधीन रजिस्ट्रीकरण अथवा पूर्व अनुज्ञा के लिए किए गए परन्तु इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व निपटान न किए गए किसी भी आवेदन को इस शर्त के अधीन रहते हुए कि आवेदक ने यथास्थिति ऐसे रजिस्ट्रीकरण या पूर्व अनुज्ञा के लिए विहित फीस का संदाय कर दिया है, यथास्थिति रजिस्ट्रीकरण अथवा पूर्व अनुज्ञा के लिए आवेदन माना जाएगा।
10. प्रमाण-पत्र की वैधता - किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, जारी करने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा।
11. लेखों का अनुरक्षण - प्रत्येक व्यक्ति जिसे धारा 12 के अधीन रजिस्ट्रीकरण अथवा पूर्व अनुज्ञा प्रदान की गई है, विदेशी अभिदाय की प्राप्ति एवं उसके उपयोग के सम्बन्ध में अनन्य रूप से पृथक लेख एवं अभिलेख रखेगा।
12. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण -
- (1) किसी व्यक्ति को समुचित आवेदन के आधार पर जारी गए प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, उसके जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर नवीनीकरण का दायी होगा।
- (2) प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की समाप्ति की तारीख से छह मास पूर्व उसके नवीनीकरण के लिए प्ररूप-एफ.सी.-5 में केन्द्रीय सरकार को आवेदन करेगा।
- (3) चालू बहु-वर्षीय परियोजना को कार्यान्वित करने वाला व्यक्ति नवीनीकरण के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की समाप्ति की तारीख से बारह मास पूर्व आवेदन करेगा।
- (4) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन, 500/- रुपये (रुपये पांच सौ मात्र) की फीस के साथ किया जाएगा।
- (5) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए फीस, वेतन एवं लेखा अधिकारी, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में देय, मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक द्वारा प्रदत्त की जाएगी।
- (6) रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन प्राप्त न होने की दशा में या ऐसे आवेदन के साथ अपेक्षित फीस न होने पर ऐसे व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की वैधता रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के पूरा होने पर समाप्त हुई मान ली जाएगी।
- दृष्टान्त - 1 जनवरी, 2012 को प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र 31 दिसम्बर, 2016 तक वैध होगा। केन्द्रीय सरकार के पास रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए अपेक्षित फीस सहित अनुरोध 30 जून, 2016 तक पहुंचेगा। यदि कोई अनुरोध प्राप्त नहीं होता है या अनुरोध के साथ अपेक्षित फीस नहीं है तो 1 जनवरी, 2012 को जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की वैधता का, 31 दिसम्बर, 2016 को समाप्त होने वाले दिन के साथ अवसान हुआ मान लिया जाएगा।
- (7) यदि इन नियमों के उपबंधों के अनुसरण में किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की वैधता का अवसान हो गया है तो उस व्यक्ति द्वारा, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए, नियम 9 के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार को पुनः अनुरोध किया जा सकेगा।
- (8) किसी व्यक्ति द्वारा नियत समय के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को नवीकरण के लिए प्रस्तुत न करने के कारणों को लिखित में पर्याप्त आधारों के साथ स्पष्ट किए जाने की दशा में उसके आवेदन को अपेक्षित फीस के साथ मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के अवसान की तारीख से 4 मास की अवधि तक स्वीकार किया जा सकता है।
13. किसी वितीय वर्ष में एक करोड़ रुपये से अधिक के विदेशी अभिदाय की प्राप्ति के मामले में - यदि कोई व्यक्ति, जिसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अथवा पूर्व अनुज्ञा प्रदान की गई है, किसी वितीय वर्ष में एक करोड़ रुपये से अधिक अथवा उसके बराबर का विदेशी अभिदाय प्राप्त करता है, तो वह उस वर्ष तथा उसके एक वर्ष बाद के लिए विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उसके उपयोग के आंकड़ों के सारांश को पब्लिक डोमेन पर रखेगा। इसके साथ ही, केन्द्रीय सरकार भी ऐसे व्यक्ति के डेटा के सारांश को आम जनता की जानकारी के लिए प्रदर्शित करेगी अथवा अपनी वेबसाइट पर रखेगी।
14. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के निलम्बन के मामले में उपयोग की जा सकने वाली राशि की सीमा- रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के निलम्बन के मामले में, खर्च न की गई राशि का उपयोग निम्नानुसार किया जा सकता है:-

- (क) यदि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र निलम्बित कर दिया जाता है तो खर्च न की जा सकी राशि का पच्चीस प्रतिशत भाग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उन घोषित लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए खर्च किया जा सकता है, जिनके लिए विदेशी अभिदाय प्राप्त किया गया था।
- (ख) खर्च न किए जा सकें विदेशी अभिदाय का शेष पिछलतर प्रतिशत भाग केवल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के निलम्बन के प्रतिसंहरण पर ही उपयोग किया जाएगा।
15. किसी व्यक्ति का प्रमाण-पत्र रद्द हो जाने की दशा में विदेशी अभिदाय की अभिरक्षा -
- (1) किसी ऐसे व्यक्ति जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया गया है, द्वारा विदेशी अभिदाय के लिए अनन्य रूप से खोले गए बैंक खाते में पड़ी विदेशी अभिदाय की उपयोग न की गई रकत, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस मामले में और निर्देश जारी किए जाने तक, सम्बन्धित बैंक के प्राधिकारियों के पास निहित रहेगी।
- (2) यदि कोई व्यक्ति जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया गया है, विदेशी अभिदाय को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करता है/अंतरित कर दिया है, उप-नियम (1) के उपबन्ध अंतरिति को लागू होंगे।
16. विदेशी अभिदाय प्राप्ति की बैंकों द्वारा सूचना -
- (1) प्रत्येक बैंक, किसी ऐसे व्यक्ति, जिसके लिए अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अथवा पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करना अपेक्षित है, परन्तु जिसे विप्रेषणादेश की तारीख तक ऐसा प्रमाण-पत्र अथवा पूर्व अनुज्ञा प्रदान न की गई हो, द्वारा विदेशी अभिदाय की प्राप्ति के सम्बन्ध में किए जाने वाले किसी भी सव्यवहार की रिपोर्ट, उस सव्यवहार के तीस दिनों के भीतर केन्द्रीय सरकार को देगा।
- (2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में निम्नलिखित व्यौरे अंतर्विष्ट होंगे :-
- (क) दाता का नाम एवं पता।
- (ख) प्राप्तकर्ता का नाम एवं पता।
- (ग) खाता संख्या।
- (घ) बैंक और उसकी शाखा का नाम।
- (ङ) विदेशी अभिदाय की रकम (विदेशी मुद्रा के साथ-साथ भारतीय रुपये दोनों में)।
- (च) प्राप्ति की तारीख।
- (छ) विदेशी अभिदाय की प्राप्ति की रीति (रोकड़/चैक/इलैक्ट्रॉनिकी हस्तांतरण आदि)।
- (3) बैंक, किसी ऐसे व्यक्ति, जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो अथवा नहीं, द्वारा तीस दिन की अवधि के भीतर किए गए एकल सव्यवहार अथवा सव्यवहारों के माध्यम से एक करोड़ रुपये से अधिक अथवा उसके बराबर की राशि के विदेशी अभिदाय की प्राप्ति की रिपोर्ट, ऐसे अंतिम सव्यवहार की तारीख से तीस दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार को भेजेगा और ऐसी रिपोर्ट में निम्नलिखित व्यौरे सम्मिलित होंगे :-
- (क) दाता का नाम एवं पता।
- (ख) प्राप्तकर्ता का नाम एवं पता।
- (ग) खाता संख्या।
- (घ) बैंक और उसकी शाखा का नाम।
- (ङ) विदेशी अभिदाय की रकम (विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपये दोनों में)।
- (च) प्राप्ति की तारीख।
- (छ) विदेशी अभिदाय की प्राप्ति की रीति (नगद/चैक/इलैक्ट्रॉनिक अंतरण इत्यादि)।
17. प्राप्तकर्ता द्वारा विदेशी अभिदाय की सूचना -
- (1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन विदेशी अभिदाय प्राप्त करता है, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर, सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को, प्ररूप एफ.सी.-6 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसके साथ आय और व्यय विवरणी, प्राप्ति और भुगतान लेखा और 1 अप्रैल को आरम्भ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष का तुलन पत्र संलग्न किया जाएगा।
- (2) प्ररूप एफ.सी.-6 में दी जाने वाली वार्षिक विवरणी में - विशिष्ट बैंक खाते में प्राप्त किए गए विदेशी अभिदाय का उल्लेख होगा और इसमें उपयोग के लिए अन्य बैंक खातों में अंतरित की गई निधियों के सम्बन्ध में व्यौरे को भी सम्मिलित होंगे।
- (3) यदि विदेशी अभिदाय केवल वस्तुओं से ही सम्बन्धित हो तो इसकी सूचना प्ररूप एफ.सी.-7 में प्रस्तुत की जाएगी।
- (4) यदि विदेशी अभिदाय, विदेशी प्रतिभूतियों से सम्बन्धित हो तो इसकी सूचना प्ररूप एफ.सी.-8 में प्रस्तुत की जाएगी।
- (5) उप-नियम (2) से (4) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित होंगी।
- (6) प्ररूप एफ.सी.-6 में प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक विवरणी के साथ उस बैंक, जहां विशिष्ट विदेशी अभिदाय खाता खोला गया है, से प्राप्त की गई खाते की विवरणी की एक प्रति जो ऐसे बैंक के किसी अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित हो, संलग्न की जाएगी।

- (7) व्यक्ति द्वारा उपरोक्त पूर्ववर्ती उप-नियम में निर्दिष्ट लेखा-विवरणों को छः वर्षों की अवधि के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।
- (8) यदि वित्तीय वर्ष के दौरान कोई विदेशी अभिदाय प्राप्त नहीं हुआ है तो भी एक 'शून्य' रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
18. किसी अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन के लिए प्राप्त विदेशी अभिदाय - धारा 21 में निर्दिष्ट निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, उसके निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में सम्यक् रूप से नामांकित होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर प्ररूप एफ0सी0-9 में दी जाएगी।
19. सहायक सत्र न्यायाधीश या इससे ऊपर की रैंक के न्यायिक अधिकारी द्वारा किए जाने वाले न्यायनिर्णयन या अधिहरण के आदेश की सीमा - धारा 29 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अधिकारी धारा 25 के अधीन अभिग्रहण की गई किसी वस्तु या मुद्रा के संबंध में अधिहरण का न्यायनिर्णयन कर सकेगा यदि अभिग्रहण की गई वस्तु का मूल्य या ऐसी मुद्रा की रकम 10,000.00/-रु (रु दस लाख केवल) से अधिक न हो।
20. पुनरीक्षण - अधिनियम की धारा 32 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के पुनरीक्षण हेतु सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक सादे कागज पर आवेदन किया जाएगा। इसके साथ "वेतन एवं लेखा अधिकारी, गृह मंत्रालय" के पक्ष में फीस के रूप में नई दिल्ली में देय 1000/-रु (रु एक हजार केवल) का डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक संलग्न किया जाएगा।
21. अपराध का शमन - धारा 41 के अधीन किसी अपराध का शमन करने के लिए सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक सादे कागज पर आवेदन किया जा सकेगा तथा इसके साथ "वेतन एवं लेखा अधिकारी, गृह मंत्रालय" के पक्ष में फीस के रूप में नई दिल्ली में देय 1000/-रु (रु एक हजार केवल) का डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक संलग्न किया जाएगा।
22. अन्वेषण अभिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार को विवरणियां देना - केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो या कोई अन्य सरकारी अभिकरण जो अधिनियम के अधीन किसी प्रकार का अन्वेषण करता है, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट तिमाही आधार पर प्रस्तुत करेगा जिसमें उसे सौंपे गए प्रत्येक मामले की स्थिति प्रदर्शित की जाएगी, जिसके अन्तर्गत मामला संख्या, रजिस्ट्रीकरण की तारीख, आरोप पत्र फाइल करने की तारीख, न्यायालय जिसके समक्ष इसे फाइल किया गया है, विचारण की प्रगति, निर्णय की तारीख तथा प्रत्येक मामले के निष्कर्ष भी शामिल हैं।
23. प्राधिकारी जिसे आवेदन या सूचना प्रेषित की जानी है - नियम 3 या नियम 4 में यथाउल्लिखित किसी व्यक्ति की राजनीतिक या सट्टेबाजी संबंधित क्रियाकलापों के बारे में कोई जानकारी या सूचना, सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रस्तुत की जाएगी। ऐसी जानकारी या सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जाएगी।
24. किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत या अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को विदेशी अभिदाय के अंतरण की प्रक्रिया-
- (1) विदेशी अभिदाय का अंतरण करने के लिए आशयित कोई व्यक्ति प्ररूप एफ0सी0-10 में केन्द्रीय सरकार को आवेदन कर सकेगा।
 - (2) यदि अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन पाने वाले व्यक्ति को अभियोजित नहीं किया गया है तो केन्द्रीय सरकार ऐसे व्यक्ति की बाबत अन्तरण की अनुज्ञा प्रदान कर सकेगी, जिसे अधिनियम की धारा 11 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र/पूर्व अनुमति प्रदान कर दी गई है।
 - (3) विदेशी अभिदाय के किसी अंतरण को प्ररूप एफ0सी0-6 और प्ररूप एफ0सी0-10 की विवरणियों में अंतरणकर्ता और प्राप्तकर्ता द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा।
 - (4) यदि विदेशी अभिदाय किसी ऐसे व्यक्ति को अंतरण करने का प्रस्ताव है प्रस्तावित है जिसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त नहीं हुई है, तो संबंधित व्यक्ति को केन्द्रीय सरकार से विदेशी अभिदाय के किसी भाग का अंतरण, जो प्राप्त किए गए विदेशी अभिदाय के कुल मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक न हो, करने की अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन करना सकेगा। आवेदन पत्र, उस स्थान पर अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा जहां अंतरित निधियों का प्रयोग किया जाना है। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट, ऐसे व्यक्ति से ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तारीख के साठ दिनों के भीतर मामले में समुचित विनिश्चय करेगा। दानकर्ता, तब तक कोई विदेशी अभिदाय अंतरित नहीं करेगा जब तक केन्द्रीय सरकार अंतरण का अनुमोदन नहीं कर देती।

[फा0सं0 II/21022/10(1)/2010-एफ0सी0-III]

(जी.वी.वी. शर्मा), संयुक्त सचिव

प्रारूप एफ0सी0-1

[नियम 6 देखें]

सचिव, भारत सरकार,
गृह मंत्रालय,
एफ0सी0आर0ए0 खंड/ विदेशी प्रभाग,
"जैसलमेर हाउस",
26, मानसिंह रोड,
नई दिल्ली - 110011

विषय: संबंधियों से दान के रूप में विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की केन्द्रीय सरकार को सूचना देना।

1. प्राप्तकर्ता का पूरा नाम (साफ अक्षरों में) :
2. जन्म की तारीख :
3. पिता/पति का नाम :
4. स्थायी पता :
5. भारत में प्राप्तकर्ता का पैन नम्बर (स्थाई खाता संख्या) :
6. प्राप्त किए गए विदेशी अभिदाय की रकम, यदि किसी वित्तीय वर्ष में 1 लाख से अधिक या उसके समतुल्य है:
7. कुल रकम तथा बैंक ड्राफ्ट का नम्बर या टेलीग्राफिक अक्षरण या बैंक के ब्योरे सहित अन्य संसूचना :
8. विदेशी संबंधियों का आयकर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक तथा जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम :
9. संबंधी का नाम तथा उससे संबंध, राष्ट्रियता तथा पासपोर्ट के ब्योरे :

घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण सत्य और सही है।

स्थान:

तिथि:

आवेदक के हस्ताक्षर
(नाम, साफ अक्षरों में)

प्रारूप एफ0सी0-2

[नियम 7(1) देखें]

सचिव, भारत सरकार,
गृह मंत्रालय,
एफ0सी0आर0ए0 खंड/ विदेशी प्रभाग,
"जैसलमेर हाउस",
26, मानसिंह रोड,
नई दिल्ली - 110011

विषय: विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने हेतु केन्द्रीय सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन:

[टिप्पण: आकस्मिक चिकित्सा सहायता की दशा में विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने के लिए ऐसे विदेशी आतिथ्य को स्वीकार करने की तारीख से साठ दिन के भीतर प्रारूप एफ0सी0-2 में दिए गए पते पर सचिव, गृह मंत्रालय को सादे कागज पर सूचना।]

1. पूरा नाम (साफ अक्षरों में) :
2. जन्म की तारीख :
3. पिता/पति का नाम :
4. वर्तमान पता :
5. स्थायी पता :
6. पासपोर्ट का विवरण (यदि पहले से कब्जे में है) :
7. प्रस्थिति :
 - (क) विधानमंडल का सदस्य:
 - (ख) किसी राजनीतिक दल का पदधारी:
 - (ग) उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय का न्यायाधीश:
 - (घ) सरकारी सेवक :
 - (ङ) किसी कंपनी/निगम का कर्मचारी:
 - (च) अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो धारा 6 में विनिर्दिष्ट नहीं है:

8. ठहरने की अवधि के दौरान जिन देशों/स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं उनका नाम :
9. उन देशों तथा स्थानों के नाम जहाँ पर विदेशी आतिथ्य स्वीकार किया जाएगा:
10. स्तंभ 9 में उल्लिखित देश/देशों/स्थान/स्थानों में विनिर्दिष्ट तारीखों सहित ठहरने की अवधि तथा यात्रा का प्रयोजन:
11. अतिथेय (अतिथेयों) की विशिष्टियाँ :
 - (क) यदि कोई व्यक्ति है तो उसका नाम, वर्तमान पता, स्थायी पता, राष्ट्रीयता, व्यवसाय सहित पूर्ण व्यक्तिगत विशिष्टियाँ :
 - (ख) यदि कोई संगठन/संस्थान/संगम/न्यास/फाउंडेशन/व्यापार संघ आदि है तो उसकी पूर्ण विशिष्टियाँ जिसमें निम्नलिखित भी है -
 - (i) पूरा नाम तथा पूरा पता:
 - (ii) मुख्य कार्यालय/प्रधान कार्यालय का पता:
 - (iii) लक्ष्य तथा उद्देश्य:
 - (iv) महत्वपूर्ण पदधारकों की विशिष्टियाँ :
12. यदि आतिथ्य का वास्तविक स्रोत उस देश से अलग है जहाँ वास्तविक रूप^० में यात्रा प्रस्तावित है तो स्तंभ 11(क) तथा (ख) के अनुसार पूर्ण विशिष्टियाँ :
13. विनिर्दिष्ट तारीखों और विनिर्दिष्ट व्यौरों के साथ स्वीकार किए जाने वाले प्रस्तावित विदेशी आतिथ्य की प्रकृति तथा अवधि :
14. आतिथ्य प्रस्तुत करने वाले अतिथेय तथा/या विदेशी स्रोत के साथ संबंध/संपर्क की प्रकृति:
15. आतिथ्य पर उपगत अनुमानित व्यय:
16. कोई अन्य महत्वपूर्ण सूचना जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहता हो:

घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण सत्य और सही है।

स्थान:

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर
(नाम, साफ अक्षरों में)

लागू न हो तो काट दें।

प्ररूप एफ0सी0-3
[नियम 9(1) (क) देखें]

सं० _____

तारीख _____

सचिव, भारत सरकार,
गृह मंत्रालय,
एफ0सी0आर0ए0 खंड/ विदेशी प्रभाग,
“जैसलमेर हाउस”,
26, मानसिंह रोड,
नई दिल्ली - 110011

विषय: विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 2010 की धारा 11(1) के अधीन निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम वाले किसी संगठन द्वारा विदेशी अभिदाय स्वीकार करने हेतु 'रजिस्ट्रीकरण' के लिए आवेदन:

महोदय,

मैं _____ इसके पश्चात नामित संगठन को और से अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन निम्नलिखित व्यौरों के अनुरूप विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए संगठन को रजिस्ट्रीकृत कराने हेतु आवेदन करता हूँ :

1. (i) संगठन का नाम तथा उसका पूरा डाक पता:

नाम:

पता:

नगर/शहर:

जिला:

राज्य:

पिनकोड:

(ग) संगठन का टेलीफोन नं० (एस०टी०डी० कोड सहित):

(घ) मुख्य कार्यकारी का टेलीफोन नं० (एस०टी०डी० कोड सहित)/मोबाइल नं०:

(ङ) ई-मेल पता:

(ii) यदि संगठन कोई रजिस्ट्रीकृत न्याय या सोसाईटी है तो कृपया उपदर्शित करें:

(क) रजिस्ट्रीकरण संख्या :

(ख) रजिस्ट्रीकरण का स्थान :

(ग) रजिस्ट्रीकरण की तारीख :

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की संत्यापित प्रति संलग्न करें)

(घ) पैर नं० (स्थाई खाता संख्यांक) :

(iii) संगठन की प्रकृति :

(क) धार्मिक (ख) सांस्कृतिक (ग) आर्थिक (घ) शैक्षणिक (ङ) सामाजिक

टिप्पण: यदि धार्मिक संगठन है तो क्या (क) हिन्दू (ख) सिक्ख (ग) मुस्लिम (घ) इसाई (ङ) बौद्ध (च) अन्य संगठन है

(iv) कृपया उपदर्शित करें :

(क) संगठन का मुख्य लक्ष्य तथा उद्देश्य (संगम जापन तथा/या संगम अनुच्छेद की प्रति संलग्न करें, यदि लागू हो)

(ख) मुख्य लक्ष्य (यों) तथा निश्चित कार्यक्रम (मों) जिनके लिए विदेशी अभिदाय स्वीकार/उपयोग किया जाना है:

(v) निम्नलिखित सारणी में मुख्य कार्यकारी से आरम्भ करते हुए संगठन की कार्यकारी समिति/शासी परिषद आदि के सदस्यों के नामों तथा पदों का व्यौरा :

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	राष्ट्रीयता	कार्यस्थल का पता सहित व्यवसाय (आवेदन फाइल करने के समय पर। फोन/मोबाइल नं० यदि उपलब्ध है)	संगठन में धारित पद	कार्यकारी परिषद/शासी निकाय से अन्य सदस्य(यों) के साथ संबंध	पत्राचार का पता

2. रूप (शब्दों में)

मात्र की फीस

(बैंक और उसकी शाखा का नाम) के मांगदेय ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक सं० तारीख (दिन/मास/वर्ष प्रारूप में) संलग्न है।

3. क्या संगम की कार्यकारी समिति/शासकीय परिषद आदि का कोई सदस्य, जिसके अंतर्गत मुख्य कृत्यकारी भी है, अपने कार्यालय संबंधी कार्यों के निर्वहन में या निजी व्यवहार में :

(क) किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया/गई है:

(ख) उसके विरुद्ध किसी अपराध के संबंध में कोई अभियोजन लंबित है:

(ग) संगठन की निधियों या पूर्व में किसी अन्य संगठन की निधियों का अपयोजन या दुरुपयोग का दोषी पाया गया/गई है:

(घ) विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया/गई है:

(ङ) किसी ऐसे अन्य संगठन का/की सदस्य या मुख्य कृत्यकारी है जिसके विरुद्ध विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 13 या धारा 14 के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है:

4. क्या आवेदक संगम :

(क) किसी ऐसे विदेश में आधारित संगठन अन्य संगम की कोई शाखा/इकाई/संगम है जिसे अधिनियम के अधीन पहले से रजिस्ट्रीकृत या पूर्वानुमति दी गई है। यदि ऐसा है, तो मूल संगठन का नाम तथा पता प्रस्तुत करें:

(ख) अधिनियम की धारा 10 को आकर्षित करता है, यदि ऐसा है, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित आदेशों के ब्यौरे दें:

(ग) अधिनियम की धारा 11(3):

(घ) अधिनियम की धारा 9(क) के निबंधनों में केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्वानुमति प्राप्त करने संबंधी निर्देश प्राप्त किए हैं। यदि ऐसा है, तो सुसंगत आदेश की संख्या और तारीख:

(ङ) विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) के उपबंधों के अनुसार पहले भी अभियोजित किया गया है:

5. क्या :

(i) (क) क्या संगठन को अधिनियम या पूर्व में विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) के अधीन विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की पूर्वानुमति दी गई थी। यदि ऐसा है, तो ऐसी पूर्वानुमति प्रदान करने संबंधी गृह मंत्रालय की तारीख सहित पत्र संख्या :

(ख) क्या प्राप्त किए गए उपरोक्त विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उपयोजन के लेखे विहित प्ररूप में केन्द्रीय सरकार को भेजे गए थे। यदि ऐसा है, तो लेखे प्रस्तुत करने की तारीख:

(ii) क्या :

(क) क्या संगम ने पूर्व में अधिनियम के अधीन पूर्वानुमति लिए बिना विदेशी अभिदाय प्राप्त किया है। यदि ऐसा है, तो बैंक खाता संख्या सहित उस बैंक शाखा के पूरे पते के साथ सम्पूर्ण विशिष्टियां जहां पर अभिदाय जमा किया गया/किया जाएगा प्रस्तुत करें :

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त उल्लेघन को माफ कर दिया गया है:

(ग) अधिनियम के अधीन विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से संगम को प्रतिषिद्ध किया गया है:

6. क्या संगम प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) के अधीन "समाचारपत्र" के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए अपेक्षित किसी प्रकाशन के संपादक, स्वामी, मुद्रक या प्रकाशक के रूप में कार्य कर रहा है। यदि ऐसा है, तो उसके ब्यौरे दें:

7. क्या :

(i) संगम ने कभी विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया था, यदि ऐसा है तो,

(क) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख और संख्या:

(ख) मंत्रालय से प्राप्त अंतिम पत्राचार, यदि कोई है, की तारीख और संख्या:

(ग) क्या रजिस्ट्रीकरण से इंकार कर दिया गया था:

(घ) क्या रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन अभी तक लंबित है:

(ii) क्या संगम ने कभी विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन पूर्वानुमति के लिए आवेदन किया था, यदि ऐसा है तो,

(क) पूर्वानुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख और संख्या:

(ख) मंत्रालय से प्राप्त अंतिम पत्राचार, यदि कोई है, की तारीख और संख्या:

(ग) क्या पूर्वानुमति देने से इंकार कर दिया गया था:

(घ) क्या पूर्वानुमति के लिए आवेदन अभी तक लंबित है:

(iii) क्या संगम ने किसी अन्य ऐसे संगम या उसकी इकाई या शाखा से संबंध समाप्त कर लिए हैं जिन्हें -

(क) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण/पूर्वानुमति देने से इंकार किया गया हो:

(ख) विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से प्रतिषिद्ध कर दिया है :

8. निम्नलिखित के बारे में ब्यौरे दें :

(i) संगम की पिछले तीन वर्षों के दौरान के कार्यकलाप :

(ii) संगम के पिछले तीन वर्षों के लेखों की संपरीक्षा का विवरण :

(iii) प्रचालन का(के) क्षेत्र:

9. क्या संगम को अधिनियम की धारा 5 के अधीन राजनीतिक प्रकृति के एक ऐसे संगठन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जो एक राजनीतिक दल नहीं है। यदि ऐसा है, तो अधिसूचना के ब्यौरे प्रस्तुत करें।

10. बैंक के ब्यौरे:

(i) उस बैंक की शाखा का नाम और पता जिसके मार्फत से विदेशी अभिदाय प्राप्त किया जाएगा :

(ii) बैंक की उक्त शाखा में खाता संख्यांक :

11. क्या संगठन/संगम को केन्द्रीय सरकार और/या राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग या कानूनी प्राधिकारी द्वारा किसी प्रकार की सहायता और/या अनुदान प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है/काली सूची में डाला गया है, यदि ऐसा है, तो उसके ब्यौरे दें।

12. क्या किसी सक्षम प्राधिकारी का सिफारिश प्रमाणपत्र संलग्न है, (और ऐसा है, तो उसके ब्यौरे दें):

13. कोई अन्य जानकारी जो संगम प्रस्तुत करना चाहता हो:

भवदीय,

मुख्य कृत्यकारी के हस्ताक्षर
[साफ अक्षरों में मुख्य कृत्यकारी का नाम]
(संगम की मुद्रा)

घोषणा और वचनबंध

मैं, यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त विविधियाँ सत्य और सही हैं और यह वचन देता हूँ कि:

- (i) यदि संगम के नाम, उसके पते, उसके रजिस्ट्रीकरण, उसकी प्रकृति, उसके लक्ष्य और उद्देश्यों में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो मैं, प्रभावी परिवर्तनों के दस्तावेजी साक्ष्यों सहित केन्द्रीय सरकार (गृह मंत्रालय) को तीस दिनों के भीतर सूचित करूँगा।
- (ii) यदि किसी समय विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए तारीख _____ के आवेदन सं० _____ में यथाउल्लिखित ऐसे सदस्यों के 50% या उससे अधिक सदस्यों को बदला जाता है तो कार्यकारी समिति/शासी परिषद के सदस्यों को बदलने के लिए पूर्वानुमति प्राप्त करूँगा और मैं यह और वचन देता हूँ कि जब तक पदाधिकारियों को बदलने की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक पूर्वानुमति के बिना विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं करूँगा।
- (iii) केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति के बिना बैंक और/या बैंक शाखा नहीं बदलूँगा [बैंक या बैंक शाखा बदलने का कारण सुसंगत एवं न्यायसंगत होना चाहिए] और,
टिप्पण : बैंक (या विद्यमान बैंक की वह शाखा जहाँ अनन्यरूप से विदेशी खाता संख्या अनुरक्षित की जाती है) या बैंक खाता संख्या को परिवर्तित करने के लिए प्रपत्र गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- (iv) जब तक कि विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन उपरोक्त के लिए उपयोजित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त नहीं होती है तब तक विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं करूँगा।

स्थान:

तारीख :

इस आवेदन के साथ

संलग्नकों की सूची :

- 1.
- 2.
- 3.

मुख्य कृत्यकारी के हस्ताक्षर
[साफ अक्षरों में मुख्य कृत्यकारी का नाम]
(संगठन/संगम की मुद्रा)

टिप्पण :-

1. रजिस्ट्रीकरण आवेदन की पावती केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले रजिस्ट्रीकरण की अभिव्यक्ति नहीं है।
2. अधूरा आवेदन अर्थात् आवश्यक दस्तावेज/दस्तावेजों/व्यौरों/स्पष्टीकरणों के बिना किया गया आवेदन संक्षेपतः नामंजूर किए जाने योग्य होगा।
3. यदि किसी स्तंभ के सामने दी गई जगह अपर्याप्त है तो अलग पेपर संलग्न करें।
4. साफ अक्षरों में लिखें।
5. आवेदन, संगम के मुख्य कृत्यकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

प्रमाणपत्र

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रीकरण करने संबंधी सिफारिश

यह प्रमाणित किया जाता है कि _____ (संगम का नाम) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय _____ (पता) में है, अपने चुने हुए क्षेत्र _____ (आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या सामाजिक) में कल्याणकारी क्रियाकलापों में लगा हुआ है। उसके लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार हैं -

- संगम तथा कार्यकारी समिति/शासी परिषद (मुख्य कृत्यकारी सहित) के सदस्य(यों) के पूर्ववृत्तों को सत्यापित कर लिया है तथा कोई भी प्रतिकूल बात जानकारी में नहीं है।
2. यह इस क्षेत्र में प्रशंसनीय कल्याणकारी क्रियाकलाप कर रहा है और पिछले तीन वर्ष के दौरान इसके द्वारा चुने हुए क्रियाकलापों के क्षेत्र (आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या सामाजिक) में कुल रु० _____ (प्रशासनिक व्यय को छोड़कर) का व्यय किया है।
3. ऊपर उल्लिखित संगम को विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की सिफारिश की जाती है।

(सिफारशी प्राधिकारी)
(सिफारशी प्राधिकारी की मुद्रा)

७ जो लागू न हो उसे काट दें।

- (i) जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट
(ii) राज्य सरकार का मंत्रालय/ विभाग
(iii) केन्द्रीय सरकार का मंत्रालय / विभाग

प्ररूप एफ0सी0-4
[नियम 9(2) (क) देखें]

सं० _____

तारीख _____

सचिव, भारत सरकार,
गृह मंत्रालय,
एफ0सी0आर0ए0 खंड/ विदेशी प्रभाग,
"जैसलमेर हाउस",
26, मानसिंह रोड,
नई दिल्ली - 110011

विषय: किसी निश्चित संस्कृति, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम वाले किसी संगम द्वारा विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 11 की उप धारा (2) के अधीन विदेशी अभिदाय स्वीकार करने हेतु 'पूर्वानुमति' के लिए आवेदन:

महोदय,

मैं _____ कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति*, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब/संगम/रजिस्ट्रीकृत कम्पनी के रूप में निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करता हूँ और विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के परन्तुक के अधीन केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति के लिए आवेदन करता हूँ :

1. (i) संगम का नाम तथा उसका पूरा डाक पता:

(क) नाम:

(ख) पता:

नगर/शहर:

जिला:

राज्य:

पिनकोड:

(ग) संगम का टेलीफोन नं० (एस0टी0डी0 कोड सहित):

(घ) मुख्य कृत्यकारी का टेलीफोन नं० (एस0टी0डी0 कोड सहित)/मोबाइल नं०:

(ङ) ई-मेल पता:

(ii) यदि संगम कोई रजिस्ट्रीकृत न्यास या सोसाईटी है तो कृपया उसके बारे में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करें:

(क) रजिस्ट्रीकरण संख्या :

(ख) रजिस्ट्रीकरण का स्थान :

(ग) रजिस्ट्रीकरण की तारीख :

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

(घ) पैर नं० (स्थायी खाता संख्यांक) :

(iii) संगम की प्रकृति :

(क) धार्मिक (ख) सांस्कृतिक (ग) आर्थिक (घ) शैक्षणिक (ङ) सामाजिक

टिप्पण: यदि धार्मिक संगठन है तो विनिर्दिष्ट करें कि क्या (क) हिन्दू (ख) सिक्ख (ग) मुस्लिम (घ)

इसाई (ङ) बौद्ध (च) अन्य हैं।

(iv) कृपया उपदर्शित करें :

(क) संगम के मुख्य लक्ष्य तथा उद्देश्य (संगम जापन तथा/या संगम अनुच्छेद, जो लागू हो, की प्रति संलग्न करें)

(ख) मुख्य लक्ष्य तथा निश्चित कार्यक्रम (कार्यक्रमों) का विवरण, जिनके लिए विदेशी अभिदाय स्वीकार किया जा रहा/प्रयोग में लाया जा रहा है:

(v) निम्नलिखित सारणी में मुख्य कृत्यकारी से आरम्भ करते हुए संगम की कार्यकारी समिति/शासी परिषद आदि के सदस्यों के नाम तथा पतों के ब्यौरे :

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	राष्ट्रीयता	कार्यस्थल के पते सहित व्यवसाय (आवेदन फाइल करने के समय पर। फोन/मोबाइल नं० यदि उपलब्ध है)	संगम में धारित पद	कार्यकारी परिषद/शासी निकाय से अन्य सदस्य(यों) के साथ संबंध	पत्राचार का पता

(vi) यदि यह संगम किसी ऐसे संगठन जो विदेश में स्थित है या अधिनियम के अधीन पहले से रजिस्ट्रीकृत या पूर्वानुमति प्राप्त किसी अन्य संगम की शाखा/इकाई/सहायकी है, तो मूल संगठन का नाम और पता :

2. फीस के ब्यौरे : विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए पूर्वानुमति प्राप्त करने हेतु रूपरेखा "वेतन और लेखा कार्यालय, गृह मंत्रालय" के पक्ष में आहरित मांगदेय ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक सं० तारीख बैंक संलग्न है।

3. क्या संगम की कार्यकारी समिति/शासी परिषद आदि का कोई सदस्य जिसके अंतर्गत मुख्य कृत्यकारी भी है, अपने कार्यालय संबंधी कार्यों के निर्वहन में या निजी व्यवहार में :

(क) न्यायालय द्वारा कभी दोषसिद्ध ठहराया गया/गई है:

(ख) उसके विरुद्ध किसी अपराध के संबंध में कोई अभियोजन लंबित है:

(ग) एसोसिएशन की निधियों या विगत में किसी संगठन की निधियों का उपयोजन या दुरुपयोग का दोषी पाया गया/गई है:

(घ) विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया/गई है:

4. क्या:

(i) संगम ने पहले कभी विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, यदि ऐसा है तो,

(क) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख और संख्या; (ख) मंत्रालय से प्राप्त अंतिम पत्राचार, यदि कोई हो, की तारीख और संख्या; (ग) क्या रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार कर दिया गया था; (घ) क्या रजिस्ट्रीकरण करने का आवेदन अभी तक लंबित है;

(ii) क्या संगम ने पहले कभी विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम 2010 (2010 का 42) के अधीन पूर्वानुमति के लिए आवेदन किया है, यदि ऐसा है तो,

(क) पूर्वानुमति प्राप्त करने का आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख और संख्या; (ख) मंत्रालय से प्राप्त अंतिम पत्राचार, यदि कोई हो, की तारीख और संख्या; (ग) क्या पूर्वानुमति देने से इन्कार कर दिया गया था; (घ) क्या पूर्वानुमति का आवेदन अभी तक लंबित है;

(iii) क्या संगम के किसी ऐसी अन्य संगम या उसकी इकाई या शाखा से निकट सम्बन्ध हैं, जिसे, (क) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत/पूर्वानुमति देने से इन्कार कर दिया गया हो;

(ख) विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से प्रतिषिद्ध किया जा चुका हो।

5. क्या आवेदक संगम :

(क) विदेश में आधारित संगठन या अधिनियम के अधीन पहले से रजिस्ट्रीकृत या पूर्वानुमति प्राप्त कर चुके किसी संगम की शाखा/इकाई/सहायक है। यदि हां, तो मूल संगम का नाम तथा पता प्रस्तुत किया जाना चाहिए :

(ख) अधिनियम की धारा 10 को आकर्षित करता है, यदि ऐसा है, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित आदेशों के ब्यौरे दें:

(ग) अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (3) के खंड (क) को आकर्षित करता है:

(घ) अधिनियम की धारा 9(क) के खंड (क) के निबंधनों में केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्वानुमति प्राप्त करने संबंधी निर्देश मिल चुके हैं। यदि ऐसा है, तो सुसंगत आदेश की संख्या और तारीख:

(ड) विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) के उपबंधों के अनुसार पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है:

6. क्या :

(i) (क) क्या संगम को अधिनियम के अधीन विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए पूर्वानुमति दी गई थी। यदि ऐसा है, तो, ऐसी पूर्वानुमति से संबंधित गृह मंत्रालय की पत्र संख्या और उसकी तारीख;

(ख) क्या ऊपर प्राप्त किए गए विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उपयोजन के लेखे विहित प्ररूप एफ.सी.-3 में केन्द्रीय सरकार को भेजे गए थे। लेखों को प्रस्तुत करने की तारीख उपदर्शित करें :

(ii) क्या :

(क) क्या संगम ने पूर्व में अधिनियम के अधीन पूर्वानुमति लिए बिना विदेशी अभिदाय प्राप्त किया है। यदि ऐसा है, तो प्राप्त किए गए विदेशी अभिदाय सहित, बैंक की शाखा का पूरा पता और बैंक खाता संख्या जिसमें अभिदाय जमा किया गया:

(ख) उक्त उल्लंघन को केन्द्रीय सरकार द्वारा माफ कर दिया गया है:

7. मैं प्रतिज्ञान करता हूँ कि आवेदन संगम, किसी ऐसे प्रकाशन का जो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) के अधीन "समाचारपत्र" के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, का स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक नहीं है।

8. मैं प्रतिज्ञान करता हूँ कि आवेदक संगम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (द) में यथापरिभाषित इलेक्ट्रानिक माध्यम या किसी अन्य इलेक्ट्रानिकी रूप में अथवा जन संचार के किसी अन्य रीति द्वारा श्रव्य/दृश्य समाचारों अथवा सप्त-सामयिक कार्यक्रमों को तैयार करने अथवा प्रसारित करने में संलिप्त नहीं है।

9. मैं प्रतिज्ञान करता हूँ कि संगठन/संगम को केन्द्रीय तथा/या राज्य सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग या कानूनी प्राधिकारी द्वारा विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है/काली सूची में नहीं रखा गया है।

10. मैं, संगम के पिछले तीन वर्षों के विस्तृत क्रियाकलापों को दर्शाने वाले दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ।

11. मैं, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित पिछले तीन वर्षों के संगम के लेखों के संपरीक्षित विवरण की प्रतियां संलग्न कर रहा हूँ।

12. दानकर्ता की वचनबद्धता पावती संबंधी आंकड़े :

(क) प्राप्त किए जाने वाले विदेशी अभिदाय की प्रकृति (नगद/वस्तु) तथा मूल्य:

(ख) प्रयोजन जिसके लिए विदेशी अभिदाय प्राप्त करने और उपयोजित करने का प्रस्ताव है उसके अंतर्गत आने वाले भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाते हुए:

(ग) दानकर्ता की ओर से अद्यतन वचनबद्धता पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है:

(घ) प्रस्ताव/परियोजना की प्रति जिसे विदेशी स्रोत द्वारा वित्तपोषण के लिए अनुमोदित किया गया है इसके अंतर्गत प्रक्षेपित परिव्यय, बजट विवरण भी है, संलग्न करें :

13. बैंक के ब्यौरे :

(i) उस बैंक की शाखा का नाम और पता जिसके मार्फत विदेशी अभिदाय प्राप्त करना प्रस्तावित है:

(ii) बैंक की उक्त शाखा में खाता संख्या:

14. उन विदेशी स्रोत/स्रोतों का विवरण जहां से विदेशी अभिदाय प्राप्त करने का प्रस्ताव है:

(i) यदि कोई व्यक्ति है तो उसकी व्यक्तिगत विशिष्टियां जिसके अंतर्गत नाम, वर्तमान पता, स्थायी पता, राष्ट्रीयता तथा व्यवसाय भी है :

(ii) यदि कोई संगठन/संस्थान/संगम/न्यास/व्यापार संघ आदि है तो उसकी पूरी विशिष्टियां जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हों :

(क) पूरा नाम तथा पता :

(ख) मुख्य कार्यालय/प्रधान कार्यालय का पता :

(ग) मुख्य कृत्यकारी तथा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की विशिष्टियां :

(iii) क्या विदेशी स्रोत किसी विदेशी देश की सरकार या उसका अभिकरण है, यदि ऐसा है, तो ब्यौरे दीजिए:

भवदीय

मुख्य कृत्यकारी के हस्ताक्षर

[साफ अक्षरों में मुख्य कृत्यकारी का नाम]

(संगम की मुद्रा)

घोषणा तथा वचनबंध

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण सत्य और सही है था वचनबंधन देता हूँ कि:

(i) यदि संगम के नाम, उसके पते, उसके रजिस्ट्रीकरण, उसकी प्रकृति, उसके लक्ष्य और उद्देश्यों में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो मैं, प्रभावी परिवर्तनों के दस्तावेजी साक्ष्यों सहित केन्द्रीय सरकार (गृह मंत्रालय) को तीस दिनों के भीतर सूचित करूंगा।

(ii) यदि किसी समय विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए तारीख _____ के आवेदन सं० _____ में यथाउल्लिखित ऐसे सदस्यों के 50% या उससे अधिक सदस्यों को बदला जाता है तो कार्यकारी समिति/शासी परिषद के

सदस्यों को बदलने के लिए पूर्वानुमति प्राप्त करूंगा और मैं यह और वचन देता हूँ कि जब तक पदाधिकारियों को बदलने की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक पूर्वानुमति के बिना विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं करूंगा।

- (iii) केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति के बिना बैंक और/या बैंक शाखा नहीं बदलूंगा [बैंक या बैंक शाखा बदलने का कारण सुसंगत एवं न्यायसंगत होना चाहिए] और,
टिप्पण : बैंक (या विद्यमान बैंक की वह शाखा जहाँ अनन्यरूप से विदेशी खाता संख्या अनुरक्षित की जाती है) या बैंक खाता संख्या को परिवर्तित करने के लिए प्रपत्र गृह मंत्रालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है।
- (iv) जब तक कि विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन इसमें ऊपर आवेदित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं करूंगा।

स्थान:

तारीख :

इस आवेदन के साथ
संलग्नकों की सूची :

- 1.
- 2.
- 3.

मुख्य कृत्यकारी के हस्ताक्षर
[साफ अक्षरों में मुख्य कृत्यकारी का नाम]
(संगम की मुद्रा)

प्ररूप भरने के लिए अनुदेश

- * कृपया जो लागू न हो उसे काट दें। यही अनुदेश इस रूप में और कहीं भी दिए गए अन्य विकल्पों के संबंध में भी लागू होगा।
- ** वस्तु सं 3 चार भागों के अन्तर्गत यदि किसी का उत्तर "हां" है तो उस मामले का पूर्ण ब्यौरा यदि अपेक्षित हो तो पृथक पृष्ठ पर दें जिसके अन्तर्गत मामले की वर्तमान स्थिति भी हो।
- *** यदि किसी ऐसे व्यक्ति या संगम से विदेशी अभिदाय, मुद्रा या वस्तु के रूप में, प्राप्त होना है जिसने प्रथम, द्वितीय या उत्तरवर्ती प्राप्तकर्ता के रूप में उसे प्राप्त किया है, तो ऐसे व्यक्ति या संगम का विवरण ऊपर स्तंभ 11 में दिया जाना चाहिए।
- 1. पूर्व अनुज्ञा के लिए आवेदन प्राप्त करना, केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी अनुमोदन के लिए प्रतिबद्धता नहीं है।
- 2. किसी अपूर्ण अर्थात् आवश्यक दस्तावेज/दस्तावेजों, ब्यौरा/ ब्यौरों, स्पष्टीकरण (स्पष्टीकरणों) के बिना प्राप्त आवेदन पत्रों को अस्वीकार होने के दायी होंगे।
- 3. किसी स्तंभ के समक्ष दिया गया स्थान अपर्याप्त होने की दशा में पृथक शीट संलग्न करें।
- 4. कृपया आवेदन पत्र स्पष्ट अक्षरों में भरें।

प्रमाणपत्र

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की पूर्व अनुज्ञा प्रदान करने की सिफारिश

प्रमाणित किया जाता है कि ----- (संगम का नाम) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ----- (पता) है अपने निश्चित क्षेत्र -----

(आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या सामाजिक) में कल्याणकारी क्रियाकलाप करने में रत रही है। इसके लक्ष्य और प्रयोजन निम्नलिखित हैं -

संगम और इसकी कार्यकारी समिति/शासी परिषद (जिसके अधीन मुख्य कृत्यकारी भी है) के सदस्य (सदस्यों) के पूर्ववृत्तों का सत्यापन कर लिया गया है और उनके विरुद्ध कुछ भी अवेक्षा में नहीं आया है।

2. इसने इस क्षेत्र में सराहनीय कल्याणकारी क्रियाकलाप किए हैं और इसने क्रियाकलापों के -----
-- क्षेत्र (आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक) में विगत तीन वर्षों के दौरान ----- रुपये (प्रशासनिक व्यय के अतिरिक्त) का पर्याप्त व्यय किया है।

3. उपर्युक्त संगम का विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए पूर्व अनुज्ञा लेने की सिफारिश की जाती है।

(सिफारिशकर्ता प्राधिकारी)**(सिफारिशकर्ता प्राधिकारी की मुद्रा)

@ जो लागू न हो उसे काट दें

** (ii) जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट

- (ii) राज्य सरकार का मंत्रालय/ विभाग
(iii) केन्द्रीय सरकार का मंत्रालय / विभाग

प्ररूप एफ0सी0 - 5
[नियम 12 (2) देखें]

सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय,
एफ.सी.आर.ए. खंड / विदेशी प्रभाग, "जैसलमेर हाउस",
26, मानसिंह रोड,
नई दिल्ली - 110011

विषय: विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 13 के अधीन 'रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र' का नवीकरण के लिए आवेदन (नवीकरण के लिए आवेदन पत्र रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र कराने के अवसान की तारीख से छह मास पहले प्रस्तुत करना होगा)
महोदय,

मैं -----, इसमें इसके पश्चात् नाम के संगम के निमित्त 'रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र' का नवीकरण करने के लिए आवेदन कर रहा हूँ जिसके ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

1. संगम का नाम और इसका पूरा डाक का पता:

- (क) नाम:
(ख) पता:
शहर/नगर:
जिला: राज्य: पिन कोड:
(ग) संगम की टेलीफोन सं० (एस टी डी कोड सहित):
(घ) मुख्य कृत्यकारी का टेलीफोन सं० (एस टी डी कोड सहित)/ मोबाइल नं.
(ङ.) ई - मेल पता
(च) संगम की कृत्यकारी समिति/शासी परिषद के सदस्य आदि, मुख्य कृत्यकारी से प्रारंभ करके, के नाम और पते के ब्यौरे निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं-

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	राष्ट्रीयता	उपजीविका सहित कार्य का स्थान का पता (आवेदन पत्र भरे जाने के समय) (फोन/मोबाइल सं., यदि कोई हो)	संगम में धारित पद	कार्यकारी परिषद/शासी निकाय के अन्य सदस्य (यों) के साथ संबंध	पत्राचार का पता

2. संगम की प्रकृति:

3. रजिस्ट्रीकरण संख्या : (क) रजिस्ट्रीकरण का स्थान: (ख) रजिस्ट्रीकरण की तारीख: (ग) अवसान की तारीख: (घ) पैन नम्बर, यदि कोई हो; (रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

4. इसके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्राप्त किया गया विदेशी अभिदाय, वर्षवार ब्यौरा दें:

5. निधियों का उपयोग करने का ब्यौरा:

6. क्या विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 421) में निर्धारित विभिन्न उपबंधों का पालन किया गया है:

7. प्रमाणपत्र का नवीकरण कराने का कारण :

8. फीस का ब्यौरा रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण के लिए ----- रुपये शब्दों में -----) की राशि "वेतन और

लेखा अधिकारी, गृह मंत्रालय के पक्ष में देय मांगदेय ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में डी डी /

बैंकर्स चेक सं० ----- तारीख ----- बैंक का नाम -----

भेजी जाती है।

9. क्या संगठन/ संगम को केन्द्रीय और / या राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग या कानूनी प्राधिकारी द्वारा किसी साहाय्य और/ या सहायता प्राप्त करने से रोका गया/ काली सूचवी में डाला गया। यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा दें।
10. कोई अन्य जानकारी जो संगम देना चाहता है:
में घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त दी गई जानकारी सत्य और सही है।

मुख्य कृत्यकारी के हस्ताक्षर
[मुख्य कृत्यकारी का नाम स्पष्ट अक्षरों में]
(संगम की मुद्रा)

प्ररूप एफ0सी0 - 6
(नियम 17 (1) देखें)

सचिव,
भारत सरकार, गृह मंत्रालय
एफ.सी.आर.ए. खंड / विदेशी प्रभाग
"जैसलमेर हाउस"
26, मान सिंह रोड, नई दिल्ली - 110011

विषय: 31 मार्च ----- को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विदेशी अभिदाय का लेखा

1. संगम का ब्यौरा:
 - (i) नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में)
 - (ii) रजिस्ट्रीकरण संख्या और तारीख [विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010] (वर्ष 2010 का 42) के अधीन
 - (iii) पूर्व अनुज्ञा संख्या और तारीख, यदि उपरोक्त (ii) लागू न हो तो
 - (iv) संगम की प्रकृति: (क) सांस्कृतिक (ख) आर्थिक (ग) शैक्षणिक (घ) धार्मिक (ड.) सामाजिक (v) धार्मिक संगम की दशा में उसका सम्प्रदाय: (क) हिन्दू (ख) सिख (ग) मुस्लिम (घ) ईसाई (ड.) बौद्ध (च) अन्य;
2. (i) वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय की कुल रकम:
(ii) वित्त वर्ष के दौरान विदेशी अभिदाय पर अर्जित ब्याज-
(क) अभिहित बैंक खाते में:
(ख) वर्ष के दौरान या पिछले वर्ष किये गये निवेश पर (सावधि जमा रसीद)
3. प्रयोजन जिसके लिए विदेशी अभिदाय प्राप्त किया गया और उसका उपयोग किया गया

(रुपयों में)

क्र म सं 0	प्रयोज न	पिछला बकाया		वर्ष के दौरान प्राप्ति				उपयोग			बकाया		विशिष्ट क्रियाकला पों के पते सहित स्थान	
				प्रथम प्राप्तकर्ता के रूप में	द्वितीय/ उत्तरव र्ती प्राप्तक र्ता के रूप में	कुल								
		नग द में	वस्तु रूप में (मूल्य)	नग द में	व स्तु रूप में		नगद में	व स्तु रूप में	5+6 +7+ 8	नग द में	वस्तुरू प में (मूल्य)	नग द में	वस्तुरू प में (मूल्य)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14

1. राष्ट्रीय महत्व का समारोह स्वतंत्रता/गणतंत्र दिवस/उत्सव आदि
2. रंगशाला/ फिल्म
3. ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों का अनुरक्षण
4. प्राचीन/ जन जातीय कला रूपों का परिरक्षण
5. अनुसंधान ।
6. सांस्कृतिक प्रदर्शन ।
7. हस्तशिल्प केन्द्र/ कुटीर और खादी उद्योग/सामाजिक वानिकी परियोजनाएं स्थापित करना और चलाना
8. पशुपालन परियोजनाएं ।
9. आय सृजित करने वाली परियोजनाएं/ योजनाएं ।
10. सूक्ष्म वित्त परियोजनाएं, जिसके अन्तर्गत बैंकिंग, सहकारिता और स्वयं सहायता समूह भी हैं।
11. कृषि क्रियाकलाप ।
12. ग्रामीण विकास ।

13. स्कूल/कालेज का संनिर्माण और उनका अनुरक्षण ।
14. गरीब बच्चों के लिए छात्रावासों का संनिर्माण और उन्हें चलाना ।
15. गरीब / पात्र बच्चों को नगद और वस्तुरूप में वृत्ति/छात्रवृत्ति/ सहायता देना ।
16. शिक्षण सामग्री - किताबें, कापियों आदि की खरीद और उनकी आपूर्ति।
17. प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम चलाना।
18. मानसिक रूप से अशक्त के लिए शिक्षा/विद्यालय ।
19. अनौपचारिक शिक्षा परियोजनाएं / कोचिंग कक्षाएं।
20. धार्मिक स्थलों का संनिर्माण/मरम्मत और अनुरक्षण।
21. धार्मिक विद्यालयों/ पुरोहितों/ उपदेशकों की शिक्षा ।
22. धार्मिक साहित्य का प्रकाशन और वितरण।
23. धार्मिक समारोह ।
24. पुरोहितों/उपदेशकों / अन्य धार्मिक कृत्यकारियों का भरण पोषण ।
25. अस्पताल / औषधालय/ क्लीनिक संनिर्माण /चलाना ।
26. समुदाय भवनों आदि का संनिर्माण, इत्यादि ।
27. वृद्ध गृहों का संनिर्माण और प्रबंधन।
28. वयोवृद्ध / विधवाओं का कल्याण।
29. अनाथगृहों का निर्माण और प्रबंधन ।
30. अनाथों का कल्याण।
31. धर्मशाला/आश्रयगृहों का संनिर्माण और प्रबंधन।
32. निशुल्क चिकित्सा/ स्वास्थ्य / परिवार कल्याण/ टीकाकरण शिविर आयोजित करना ।
33. निशुल्क दवा और चिकित्सा सहायता का प्रदाय जिसके अंतर्गत श्रवण उपकरण, दृश्य सहाय उपकरण, परिवार कल्याण सहाय उपकरण आदि भी हैं ।
34. विकलांगों को तिपहिया साइकिल, बैसाखी आदि जैसे उपकरणों को उपलब्ध करना।
35. कुष्ठ से ग्रसित व्यक्तियों का उपचार/पुनर्वास।
36. मादक द्रव्य के आदी व्यक्तियों का उपचार/पुनर्वास।
37. महिला सशक्तीकरण/ कल्याण।
38. बाल कल्याण।
39. गरीब, जरूरतमंद और निराश्रितों के लिए मुफ्त वस्त्र और खाद्य उपलब्ध कराना।
40. प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को राहत और पुनर्वास करना।
41. दंगा/अन्य उपद्रव पीड़ितों की सहायता करना।
42. बोर - वेल्स की खुदाई करना ।
43. स्वच्छता व्यवस्था जिसके अन्तर्गत सामुदायिक प्रसाधन भी है।
44. व्यावसायिक प्रशिक्षण - सिलाई, मोटर मरम्मत, कम्प्यूटर आदि।
45. जागरूकता शिविर/ सम्मेलन/ कार्यशालाएं/ बैठकें / सम्मेलन करना।
46. निशुल्क कानूनी सहायता देना / कानूनी सहायता केन्द्र चलाना।
47. खेलकूद मुकाबले आयोजित करना।
48. एकवायर्ड इम्यून डिफीसिएसी सिन्ड्रोम (एड्स) के बारे में जागरूकता फैलाना, एड्स प्रभावित व्यक्तियों का उपचार और पुनर्वास करना।
49. शारीरिक और मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों का कल्याण करना ।
50. अनुसूचित जातियों का कल्याण।
51. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण।
52. अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण।
53. पर्यावरण संबंधी कार्यक्रम।
54. सामाजिक - आर्थिक और अन्य कल्याण कार्यक्रमों का सर्वेक्षण।
55. स्थापना व्यय -(i) आस्तियां बनाना
(क) समग्र निधि की स्थापना और
(ख) भूमि की खरीद
(ii) कार्यालय, प्रशासनिक और अन्य भवनों, का निर्माण/विस्तार/ अनुरक्षण, वेतन/ मानदेय
(iii) न्यूजलेटर/ साहित्य/ पुस्तकों आदि का प्रकाशन(iv) अन्य व्यय
56. ऊपर वर्णित से भिन्न अन्य क्रियाकलाप (व्यौरा दें)

कुल

चेतावनी: मिथ्या जानकारी देने या सारवान तथ्यों को छुपाने से विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के संगत उपबन्धों के आधार पर समुचित कार्रवाई हो सकती है।

4. बैंक की अभिहित शाखा का नाम और पता तथा खाता संख्या (रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुज्ञा के लिए किए गए आवेदन में यथा विनिर्दिष्ट या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञात)

खाता सं० -----
 बैंक -----
 शाखा -----
 पता -----

5. दानकर्तावार विदेशी अभिदाय की रसीद:

क्रम सं०	संस्थागत/ व्यक्तिगत/ अन्य दानदाता	नाम और पते	प्रयोजन	प्राप्ति का मास और तारीख	रकम
1	2	3	4	5	6

- (i) संस्थागत दानदाताओं से -----
 (ii) व्यक्तिगत दानदाता (ओं) से, एक लाख रुपये से अधिक: -----
 (iii) व्यक्तिगत दानदाता (ओं) से, एक लाख रुपये से कम: -----

कुल I(ii) + (iii) + (iii) :-

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ऊपर उल्लिखित सभी विशिष्टियाँ सत्य और सही हैं। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम ज्ञान में विदेशी अभिदाय का उपयोग उसी प्रयोजन (नों) के लिए किया गया जिसके लिए संगम ने केन्द्रीय सरकार से रजिस्ट्रीकरण या पूर्व अनुज्ञा दी गई है। मैंने किसी तथ्य को न तो छिपाया है और न ही निषेध किया है।

स्थान:तारीख:

मुख्य कृत्यकारी के हस्ताक्षर

(मुख्य कृत्यकारी का नाम स्पष्ट अक्षरों में)(संगम की मुद्रा)

चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र

मैंने/हमने, ----- (संगम का नाम और उसका पूरा पता जिसमें राज्य, जिला और पिन कोड, यदि रजिस्ट्रीकृत सोसायटी है तो उसका रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्रीकरण का राज्य) के 31 मार्च ----- को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए खातों की लेखा परीक्षा की है और सभी संगत वहीनों और वाउचरों की जांच की है तथा परीक्षित लेखाओं के अनुसार यह प्रमाणित करता हूँ कि

- (i) वर्ष के प्रारम्भ में अग्रणीत विदेशी अभिदाय ----- रुपये था;
 (ii) वर्ष ----- के दौरान संगम द्वारा ----- रुपये / मूल्य का विदेशी अभिदाय प्राप्त किया था।
 (iii) वर्ष ----- की समाप्ति पर संगम के पास ----- रुपये का अनप्रयुक्त शेष विदेशी अभिदाय था।
 (iv) प्रमाणित किया जाता है कि संगम ने विदेशी अभिदाय के खातों और उससे संबंधित अभिलेखों का विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम 2011 के नियम 16 के साथ पठित विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (वर्ष 2010 का 42) की धारा 19 में निर्दिष्ट रीति में अनुरक्षण किया है।
 (v) इस प्रमाणपत्र में और संलग्न तुलनपत्र में प्रदान कराई गई जानकारी और प्रतियों और भुगतान का विवरण सही है क्योंकि उसकी मैंने/हमने जांच कर ली है।

स्थान:तारीख:

(चार्टर्ड एकाउंटेंट के हस्ताक्षर)
 (मुद्रा, पता और रजिस्ट्रीकरण संख्या)

- (ii) वर्ष ----- के दौरान संगम द्वारा ----- रुपये / मूल्य का विदेशी अभिदाय प्राप्त किया था।
- (iii) (क) वर्ष ----- की समाप्ति पर संगम के पास----- रुपये का अनप्रयुक्त शेष विदेशी अभिदाय था।
(ख) यस्तु रूप में प्राप्त समस्त विदेशी अभिदाय का वित्त वर्ष की समाप्ति तक उपयोग कर लिया गया है और कुछ भी शेष नहीं बचा है (लागू नहीं हो उसे काट दें)
- (iv) प्रमाणित किया जाता है कि संगम ने विदेशी अभिदाय के खातों और उससे संबंधित अभिलेखों का विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम 2011 के नियम 8 के उपनियम (1) के साथ पठित विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (वर्ष 2010 का 42) की धारा 13 में विनिर्दिष्ट रीति में अनुरक्षण किया है।
- (v) इस प्रमाणपत्र में और संलग्न तुलनपत्र में प्रदान कराई गई जानकारी और प्रतियों और भुगतान का विवरण सही है क्योंकि उसकी मंने/हमने जांच कर ली है।

स्थान:तारीख:

(चार्टर्ड एकाउंटेंट के हस्ताक्षर)
(मोहर, पता और रजिस्ट्रीकरण संख्या)

प्ररूप एफ0सी0 - 8
। (नियम 17 (4) देखें ।

सचिव, भारत सरकार,
गृह मंत्रालय,
एफ.सी.आर.ए. खंड / विदेशी प्रभाग,
"जैसलमेर हाउस" 26 मान सिंह रोड,
नई दिल्ली -110011

विषय: विदेशी अभिदाय (प्रतिभृतियों) खाते संबंधी सूचना:

(विवरण विद्यमान रूपविधान (पुराने) में प्रदान किया जाए - विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 1976 का नियम 8 (ग) देखें)

1. प्रतिभृतियों का नाम 2. प्रत्येक प्रतिभृति का अभिहित मूल्य

तारीख	व्यक्ति का नाम और पता जिससे प्राप्त किया	प्रत्येक प्रतिभृति की विभेदकारी संख्या	प्रतिभृतियों का योग	प्रतिभृतियों का कुल अभिहित मूल्य	विदेशी प्रतिभृतियां प्राप्त करने या रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति का ब्यौरा	केन्द्रीय सरकार को भेजी गई सूचना का ब्यौरा	तारीख	प्राप्त लाभंश या व्याज	जिस तारीख तक व्याज या लाभंश प्राप्त किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्राप्त लाभंश/ व्याज का ब्यौरा

विदेशी अभिदाय मुद्रा खाते में जमा की प्रविष्टि का संदर्भ	तारीख	व्यक्ति का नाम और पता जिसे बेची/ अन्तरित की गई	बेची गई/ अन्तरित कुल प्रतिभृतियों की संख्या	अन्तरित प्रत्येक प्रतिभृति की विभेदकारी संख्या	कुल रकम जिसके लिए बेची/अन्तरित की गई	प्रतिभृतियों को बेचने/अन्तरित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति का ब्यौरा	केन्द्रीय सरकार को भेजी गई सूचना का ब्यौरा	विदेशी अभिदाय मुद्रा खाते में प्रविष्टि का संदर्भ
11	12	13	14	15	16	17	18	19

घोषणा

मैं घोषित करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त जानकारी सत्य और सही है।
स्थान:तारीख:

मुख्य कृत्यकारी के हस्ताक्षर
[मुख्य कृत्यकारी का नाम स्पष्ट अक्षरों में]
(संगम की मुद्रा)

चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र

मैंने/हमने, ----- (संगम का नाम और उसका पूरा पता जिसमें राज्य, जिला और पिन कोड, यदि रजिस्ट्रीकृत सोसायटी है तो उसका रजिस्ट्रीकरण संख्या, रजिस्ट्रीकरण के राज्य) के 31 मार्च ----- को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए खातों की लेखा परीक्षा की है और सभी संगत पुस्तिकाओं और वाउचरों की जांच की है तथा परीक्षित लेखाओं के अनुसार यह प्रमाणित करता हूँ कि

- (i) वर्ष के प्रारम्भ में प्रतिभूतियों के रूप में अग्रणीत निवेश ----- रुपये था;
- (ii) वर्ष ----- के दौरान संगम ने प्रतिभूतियों में ----- रुपये का और निवेश किया था;
- (iii) वर्ष ----- की समाप्ति पर संगम द्वारा प्रतिभूतियों में किए गए निवेश का कुल मूल्य ----- रुपये था;
- (iv) प्रमाणित किया जाता है कि संगम ने विदेशी अभिदाय के खातों और उससे संबंधित अभिलेखों का विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम 2011 के नियम 8 के उपनियम (2) साथ पठित विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (वर्ष 2010 का 42) की धारा 13 में विनिर्दिष्ट रीति में अनुरक्षण किया है;
- (v) इस प्रमाणपत्र में और संलग्न तुलनपत्र में प्रदान कराई गई जानकारी और प्राप्तियों और भुगतान का ब्यौरा सही है क्योंकि उसकी मैंने/हमने जांच कर ली है।

स्थान:तारीख:

(चार्टर्ड एकाउंटेंट के हस्ताक्षर)
(मोहर, पता और रजिस्ट्रीकरण संख्या)

प्ररूप एफ0सी0 - 9
(नियम 18 देखें)

सचिव, भारत सरकार
गृह मंत्रालय
एफ.सी.आर.ए. खंड / विदेशी प्रभाग,
"जैसलमेर हाउस" 26 मान सिंह रोड,
नई दिल्ली -110011

विषय: किसी अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन के लिए प्राप्त विदेशी अभिदाय की प्राप्ति की केन्द्रीय सरकार को सूचना देना [विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 21]

(निर्वाचन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में सम्यक् रूप से नामित होने की तारीख से 45 दिनों के अन्दर प्ररूप एफ0सी0 -9 में, उसके नाम निदेशन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती 180 दिन के भीतर किसी भी समय, उसके द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय का विवरण केन्द्रीय सरकार को सूचित करेगा।)

1. पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में);
2. जन्म तारीख;
3. पिता का नाम ;
4. वर्तमान पता;
5. स्थायी पता;
6. विधान मंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में सम्यक् रूप से नामित होने की तारीख और विधानमण्डल की विशिष्टियां (अधिनियम की धारा 21 देखें)
7. निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में सम्यक् रूप से नामित होने की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती 180 दिन के भीतर प्राप्त विदेशी अभिदाय की पूर्ण विशिष्टियां;
8. विदेशी अभिदाय की प्रकृति (नकद और / या वस्तु रूप में) और उसका पूर्ण ब्यौरा जिसके अन्तर्गत मूल्य भी है
9. प्राप्ति की प्रणाली, ढंग
10. प्रयोजन जिसके लिए अभिदाय प्राप्त किया गया

11. विदेशी स्रोत, जिससे अभिदाय प्राप्त किया, की विशिष्टियाँ:
(क) यदि व्यक्ति है तो उसका नाम, वर्तमान पता, स्थायी पता, राष्ट्रीयता, व्यवसाय सहित निजी विशिष्टियाँ
(ख) यदि संगठन/संस्था/ संगम/न्यास/फाउण्डेशन/व्यापार संघ आदि है तो उसका पूर्ण ब्यौरा जिसमें निम्नलिखित समलित है:
(i) पूरा नाम और पूर्ण पता:
(ii) मुख्य कार्यालय/प्रधान कार्यालय का पता:
(iii) लक्ष्य और प्रयोजन
(iv) महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की विशिष्टियाँ
12. विदेशी स्रोत (तों) से संबंध /व्यहार की प्रकृति:
13. अभिदाय के वास्तविक उपयोग का ब्यौरा: (क) विशिष्ट प्रयोजन जिनके लिए उपयोग किया गया
(ख) उस रीति का पूर्ण विवरण जिसमें उपयोग किया गया
14. कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहता है।

घोषणा

मैं घोषित करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विशिष्टियाँ सत्य और सही हैं।
स्थान: तारीख:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
[नाम स्पष्ट अक्षरों में]

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु० ----- पुत्र/पुत्री
श्री ----- निवासी -----
----- के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी ने उपर्युक्त घोषणा
पर आज माह----- और ----- वर्ष के दिन तारीख ----- को मेरे सामने हस्ताक्षर किए।

हस्ताक्षर
[नाम स्पष्ट अक्षरों में]
पदनाम

(समूह क राजपत्रित अधिकारी ** या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)
*अधिनियम की धारा 21 में यथापारिभाषित "विधान मण्डल" को यहां विनिर्दिष्ट करें।** राज्य / केन्द्रीय सरकार के

प्ररूप एफ०सी० - 10
(नियम 24 (1) देखें)

सचिव, भारत सरकार,
गृह मंत्रालय,
एफ.सी.आर.ए. खंड / विदेशी प्रभाग,
"जैसलमेर हाउस" 26 मान सिंह रोड
नई दिल्ली - 110011

विषय: विदेशी अभिदाय किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत / अ- रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को अन्तरित करने के लिए अनुमति प्राप्त करने का आवेदन
महोदय,

मैं -----, एतदपश्चात् उल्लिखित संगम की ओर से, विदेशी अभिदाय निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार रजिस्ट्रीकृत / अ-रजिस्ट्रीकृत अन्य व्यक्तियों को अन्तरित करने के लिए विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा - के अधीन केन्द्रीय सरकार से अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन करता हूँ:

1. आवेदक/ अन्तरक संगम का ब्यौरा:

- (क) नाम:
- (ख) पता: नगर/ शहर: जिला: राज्य: पिन कोड:
- (ग) संगम का टेलीफोन सं० (एस टी डी कोड सहित):
- (घ) मुख्य कृत्यकारी का टेलीफोन सं० (एस टी डी कोड सहित): मोबाइल संख्या ----
- (ड.) ई-मेल पता:

- (च) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/ पूर्व अनुज्ञा आदेश का ब्यौरा:
 (i) रजिस्ट्रीकरण संख्या (वि.अ.वि.अ. के अधीन);
 (ii) यदि वि.अ.वि.अ. के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं तो पूर्व अनुज्ञा, आदेश संख्या और तारीखसहित;
 (रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/पूर्व अनुज्ञाप्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
2. प्राप्तकर्ता/अन्तरिती संगम का ब्यौरा
 (क) नाम:
 (ख) पता: नगर/ शहर:
 जिला:
 राज्य:
 पिन कोड:
 (ग) संगम का टेलीफोन सं० (एस टी डी कोड सहित):
 (घ) मुख्य कृत्यकारी का टेलीफोन सं० (एस टी डी कोड सहित): मोबाइल संख्या ----
 (ङ.) ई-मेल पता:
 (i) क्या विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम, 1976 (1976 का 49) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है:
 हां/नहीं
 (क) यदि हां तो उसका ब्यौरा (रजिस्ट्रीकरण संख्या, रजिस्ट्रीकरण की तारीख) (रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
 (ख) यदि नहीं तो ब्यौरा दें कि क्या यह भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) या सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है।
 (क) रजिस्ट्रीकरण संख्या:(ख) रजिस्ट्रीकरण का स्थान:(ग) रजिस्ट्रीकरण की तारीख:
 (रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
 (घ) पैर सं०, यदि कोई हो;
3. अन्तरित किए जाने वाले विदेशी अभिदाय की रकम:
 4. प्रस्तावित विदेशी अभिदाय अन्तरण का ढंग (नगद/चेक/इलेक्ट्रानिक आदि)
 5. बैंक का ब्यौरा और खाता संख्या जिसमें विदेशी अभिदाय अन्तरित किए जाने का प्रस्ताव है:
 (i) खाता संख्या:
 (ii) बैंक का नाम:
 (iii) पता:
 6. कोई अन्य जानकारी जो संगम देना चाहता है:
 मैं घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सत्य और सही है।

मुख्य कृत्यकारी के हस्ताक्षर
 [मुख्य कृत्यकारी का नाम स्पष्ट अक्षरों में]
 (संगम की मुद्रा)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, dated the 29th April, 2011

NOTIFICATION

G.S.R. 349(E).— In exercise of the powers conferred by section 48 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date on which the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) shall come into force.

2. **Definitions.** - (1) In these rules unless the context otherwise requires,-

- "Act" means the Foreign Contribution (Regulation) Act 2010;
- "chartered accountant" shall have the meaning assigned to it in clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Chartered Accountants Act, 1949;
- "Form" means a form appended to these rules;
- "section" means section of the Act;
- "year" means the financial year commencing from the 1st day of April and ending on the 31st day of March of the next calendar year;

(2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act shall have the meaning assigned to them in the Act.

3. **Guidelines for declaration of an organisation to be of a political nature, not being a political party.** - The Central Government may specify any organisation as organisation of political nature on one or more of the following grounds:-

- organisation having avowed political objectives in its Memorandum of Association or bylaws;

- (ii) any Trade Union whose objectives include activities for promoting political goals;
 - (iii) any voluntary action group with objectives of a political nature or which participates in political activities;
 - (iv) front or mass organisations like Students Unions, Workers' Unions, Youth Forums and Women's wing of a political party;
 - (v) organisation of farmers, workers, students, youth based on caste, community, religion, language or otherwise, which is not directly aligned to any political party, but whose objectives, as stated in the Memorandum of Association, or activities gathered through other material evidence, include steps towards advancement of political interests of such groups;
 - (vi) any organisation, by whatever name called, which habitually engages itself in or employs common methods of political action like 'bandh' or 'hartal', 'rasta roko', 'rail roko' or 'jail bharo' in support of public causes.
4. **Speculative activities.** - (1) The following activities shall be treated as speculative activities:-
- (a) any activity or investment that has an element of risk of appreciation or depreciation of the original investment, linked to market forces, including investment in mutual funds or in shares;
 - (b) participation in any scheme that promises high returns like investment in chits or land or similar assets not directly linked to the declared aims and objectives of the organisation or association.
- (2) A debt-based secure investment shall not be treated as speculative investment.
- (3) Every association shall maintain a separate register of investments.
- (4) Every register of investments maintained under sub-rule (3) shall be submitted for audit.
5. **Administrative expenses.** - The following shall constitute administrative expenses:-
- (i) salaries, wages, travel expenses or any remuneration realised by the Members of the Executive Committee or Governing Council of the person;
 - (ii) all expenses towards hiring of personnel for management of the activities of the person and salaries, wages or any kind of remuneration paid, including cost of travel, to such personnel;
 - (iii) all expenses related to consumables like electricity and water charges, telephone charges, postal charges, repairs to premise(s) from where the organisation or Association is functioning, stationery and printing charges, transport and travel charges by the Members of the Executive Committee or Governing Council and expenditure on office equipment;
 - (iv) cost of accounting for and administering funds;
 - (v) expenses towards running and maintenance of vehicles;
 - (vi) cost of writing and filing reports;
 - (vii) legal and professional charges; and
 - (viii) rent of premises, repairs to premises and expenses on other utilities:
- Provided that the expenditure incurred on salaries or remuneration of personnel engaged in training or for collection or analysis of field data of an association primarily engaged in research or training shall not be counted towards administrative expenses:
- Provided further that the expenses incurred directly in furtherance of the stated objectives of the welfare oriented organisation shall be excluded from the administrative expenses such as salaries to doctors of hospital, salaries to teachers of school etc.
6. **Intimation of receiving foreign contribution from relatives.** - Any person receiving foreign contribution in excess of one lakh rupees or equivalent thereto in a financial year from any of his relatives shall inform the Central Government in Form FC-1 within thirty days from the date of receipt of such contribution.
7. **Receiving foreign hospitality by specified categories of persons.** -
- (1) Any person belonging to any of the categories specified in section 6 who wishes to avail of foreign hospitality shall apply to the Central Government in Form FC-2 for prior permission to accept such foreign hospitality.
 - (2) Every application for acceptance of foreign hospitality shall be accompanied by an invitation letter from the host or the host country, as the case may be, and administrative clearance of the Ministry or department concerned in case of visits sponsored by a Ministry or department of the Government.
 - (3) The application for grant of permission to accept foreign hospitality must reach the appropriate authority ordinarily two weeks before the proposed date of onward journey.
 - (4) In case of emergent medical aid needed on account of sudden illness during a visit abroad, the acceptance of foreign hospitality shall be required to be intimated to the Central Government within sixty days of such receipt giving full details including the source, approximate value in Indian Rupees, and the purpose for which and the manner in which it was utilised.
- Provided that no such intimation is required if the value of such hospitality in emergent medical aid is upto one lakh rupees or equivalent thereto.

8. **Action in respect of article, currency or security received in contravention of the Act. -**
- (1) The Central Government may issue a prohibitory order for contravention of the Act in respect of any article, currency or securities.
 - (2) The prohibitory order issued under sub-rule (1) shall be served on the person concerned in the following manner :-
 - (a) by delivering or tendering it to that person or to his duly authorised agent; or
 - (b) by sending it to him by 'registered post with acknowledgement due' or 'speed post' to the address of his last known place of residence or the place where he carries on, or is known to have last carried on, business or the place where he personally works for gain or is known to have last worked for gain and, in case the person is an organisation or an association, to the last known address of the office of such organisation or association; or
 - (c) if it cannot be served in any of the manner aforesaid, by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides or carries on, or is known to have last carried on, business or personally works for gain, or is known to have last worked personally for gain and, in case the person is an organisation or an association, on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which the office of that organisation or association is located, or is known to have been last located, and the written report whereof should be witnessed by at least two persons.
9. **Application for obtaining 'registration' or 'prior permission' to receive foreign contribution. -**
- (1) (a) An application under sub-section (1) of section 11 for registration of a person for acceptance of foreign contribution shall be made electronically on-line in Form FC-3, and shall be followed by forwarding the hard copy of the on-line application duly signed by the Chief Functionary of the association together with the required documents.
 - (b) The hard copy of the on-line application referred in clause (a) shall reach the Central Government within thirty days of the submission of the on-line application, failing which the request of the person shall be deemed to have ceased.
 - (c) Any person whose request has ceased under clause (b) of sub-rule (1) may prefer a fresh on-line application with the Central Government only after six months from the date of cessation of the previous application.
 - (d) A person seeking registration shall be required to open an exclusive bank account to receive the foreign contribution.
 - (e) The person may open one or more accounts in one or more banks for the purpose of utilising the foreign contribution after it has been received and, in all such cases, intimation on plain paper shall be furnished to the Secretary, Ministry of Home Affairs, New Delhi within fifteen days of the opening of any account.
 - (2) (a) An application under sub-section (2) of section 11 for obtaining prior permission of the Central Government to receive foreign contribution shall be made electronically on-line in Form FC-4 and shall be followed by forwarding the hard copy of the on-line application duly signed by the Chief Functionary of the Association together with the required documents.
 - (b) The hard copy of the on-line application shall reach the Central Government within thirty days of filing of the on-line application, failing which the request of the person shall be deemed to have ceased.
 - (c) Any person whose request has ceased under clause (b) of sub-rule (2) may prefer a fresh on-line application with the Central Government only after six months from the date of cessation of the previous application.
 - (d) A person seeking prior permission under this rule shall be required to open an exclusive bank account for the receipt of foreign contribution.
 - (e) A person seeking prior permission under this rule may open one or more accounts in one or more banks for the purpose of utilising the foreign contribution after it has been received and in all such cases intimation on plain paper shall be furnished to the Secretary, Ministry of Home Affairs, New Delhi within fifteen days of the opening of any account.
 - (3) No person shall prefer a second application for registration or prior permission within a period of six months after submitting an application either for the grant of prior permission for the same project or for registration.
 - (4) (a) An application made for the grant of prior permission shall be accompanied by a fee of Rs.1000/- (One Thousand only).
 - (b) An application made for the grant of the registration shall be accompanied by a fee of 2000/- (Two Thousand only).
 - (c) The fee may be revised by the Central Government from time to time.
 - (d) The fee, as applicable, shall be remitted by demand draft or banker's cheque in favour of the "Pay and Accounts Officer, Ministry of Home Affairs", payable at New Delhi.
 - (5) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) to (4), every application made for registration or prior permission under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976) but not disposed of before the date of commencement of these rules shall be deemed to be an application for registration or prior permission, as the case may be,

under these rules, subject to the condition that the applicant furnishes the prescribed fees for such registration or prior permission, as the case may be.

10. **Validity of certificate.** - Every certificate or registration granted to a person under the Act shall be valid for a period of five years from the date of its issue.

11. **Maintenance of accounts** - Every person who has been granted registration or prior permission under section 12 shall maintain a separate set of accounts and records, exclusively, for the foreign contribution received and utilised.

12. **Renewal of registration certificate.** -

- (1) Every certificate of registration issued to a person shall be liable to be renewed after the expiry of five years from the date of its issue on proper application.
- (2) Every person shall apply to the Central Government in Form FC-5, six months before the date of expiry of the certificate of registration, for its renewal.
- (3) A person implementing an ongoing multi-year project shall apply for renewal twelve months before the date of expiry of the certificate of registration.
- (4) An application made for renewal of the certificate of registration shall be accompanied by a fee of Rs.500/- (Five Hundred only).
- (5) The fee for renewal of the certificate of registration shall be remitted by demand draft or banker's cheque in favour of the "Pay and Accounts Officer, Ministry of Home Affairs", payable at New Delhi.
- (6) In case no application for renewal of registration is received or such application is not accompanied by the requisite fee, the validity of the certificate of registration of such person shall be deemed to have ceased from the date of completion of the period of five years from the date of the grant of registration.

Illustration: - A certificate of registration granted on the 1st January, 2012 shall be valid till the 31st December, 2016. A request for renewal of the registration certificate shall reach the Central Government, accompanied by the requisite fee, by the 30th June, 2016. If no application is received or is not accompanied by the renewal fee, the validity of the registration certificate issued on the 1st January 2012 shall be deemed to have lapsed with effect from the close of the day on 31st December, 2016.

- (7) If the validity of the certificate of registration of a person has ceased in accordance with the provisions of these rules, a fresh request for the grant of a certificate of registration may be made by the person to the Central Government as per the provisions of rule 9.
- (8) In case a person provides sufficient grounds, in writing, explaining the reasons for not submitting the certificate of registration for renewal within the stipulated time, his application may be accepted for consideration along with the requisite fee, but not later than four months after the expiry of the original certificate of registration.

13. **In the event of receipt of foreign contribution in excess of one crore rupees in a financial year.** -

In case a person who has been granted a certificate of registration or prior permission receives foreign contribution in excess of one crore rupees, or equivalent thereto, in a financial year, he/she shall place the summary data on receipts and utilisation of the foreign contribution pertaining to the year of receipt as well as for one year thereafter in the public domain. Besides, the Central Government shall also display or upload the summary data of such persons on its website for information of the general public.

14. **Extent of amount that can be utilised in case of suspension of the certificate of registration.** - The unspent amount that can be utilised in case of suspension of a certificate of registration may be as under: -

- (a) In case the certificate of registration is suspended under sub-section (1) of section 13 of the Act, up to twenty-five per cent of the unutilised amount may be spent, with the prior approval of the Central Government, for the declared aims and objects for which the foreign contribution was received.
- (b) The remaining seventy-five per cent of the unutilised foreign contribution shall be utilised only after revocation of suspension of the certificate of registration.

15. **Custody of foreign contribution in respect of a person whose certificate has been cancelled.** - (1) The amount of foreign contribution lying unutilised in the exclusive foreign contribution bank account of a person whose certificate of registration has been cancelled shall vest with the banking authority concerned till the Central Government issues further directions in the matter.

- (2) If a person whose certificate of registration has been cancelled transfers/has transferred the foreign contribution to any other person, the provisions of sub-rule (1) of this rule shall apply to the person to whom the fund has been transferred.

16. **Reporting by banks of receipt of foreign contribution.** -

- (1) Every bank shall send a report to the Central Government within thirty days of any transaction in respect of receipt of foreign contribution by any person who is required to obtain a certificate of registration or prior permission under the Act, but who was not granted such certificate or prior permission as on the date of receipt of such remittance.
- (2) The report referred to in sub-rule (1) shall contain the following details: -
 - (a) Name and address of the donor.
 - (b) Name and address of the recipient.

- (c) Account number.
- (d) Name of the Bank and Branch.
- (e) Amount of foreign contribution (in foreign currency as well as Indian Rupees).
- (f) Date of receipt.
- (g) Manner of receipt of foreign contribution (cash/cheque/electronic transfer etc.).

(3) The bank shall send a report to the Central Government within thirty days from the date of such last transaction in respect of receipt of any foreign contribution in excess of one crore rupees or equivalent thereto in a single transaction or in transactions within a duration of thirty days, by any person, whether registered or not under the Act and such report shall include the following details:-

- (a) Name and address of the donor.
- (b) Name and address of the recipient.
- (c) Account number.
- (d) Name of the Bank and Branch.
- (e) Amount of foreign contribution (in foreign currency as well as Indian Rupees).
- (f) Date of receipt.
- (g) Manner of receipt of foreign contribution (cash/cheque/electronic transfer etc.).

17. Intimation of foreign contribution by the recipient. -

(1) Every person who receives foreign contribution under the Act shall submit a report in Form FC-6, accompanied by an income and expenditure statement, receipt and payment account, and balance sheet for every financial year beginning on the 1st day of April within nine months of the closure of the financial year, to the Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi.

(2) The annual return in Form FC-6 shall reflect the foreign contribution received in the exclusive bank account and include the details in respect of the funds transferred to other bank accounts for utilisation.

(3) If the foreign contribution relates only to articles, the intimation shall be submitted in Form FC-7.

(4) If the foreign contribution relates to foreign securities, the intimation shall be submitted in Form FC-8.

(5) Every report submitted under sub-rules (2) to (4) shall be duly certified by a chartered accountant.

(6) Every such return in Form FC-6 shall also be accompanied by a copy of a statement of account from the bank where the exclusive foreign contribution account is maintained by the person, duly certified by an officer of such bank.

(7) The accounting statements referred to above in the preceding sub-rule shall be preserved by the person for a period of six years.

(8) A 'NIL' report shall be furnished even if no foreign contribution is received during a financial year.

18. Foreign contribution received by a candidate for election. - Foreign contribution received by a candidate for election, referred to in section 21, shall be furnished in Form FC-9 within forty-five days from the date on which he is duly nominated as a candidate for election.

19. Limit to which a judicial officer, not below the rank of an Assistant Sessions Judge may make adjudication or order confiscation. - An officer referred in clause (b) of sub-section (1) of section 29 may adjudge confiscation in relation to any article or currency seized under section 25, if the value of such article or the amount of such currency seized does not exceed Rs. 10,000,000/- (Ten Lakh only).

20. Revision. - An application for revision of an order passed by the competent authority under section 32 of the Act shall be made to the Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi on a plain paper. It shall be accompanied by a fee of Rs. 1000/- (One Thousand only) in the form of a demand draft or a banker's cheque in favour of the "Pay and Accounts Officer, Ministry of Home Affairs", payable at New Delhi.

21. Compounding of offence. - An application for the compounding of an offence under section 41 may be made to the Secretary, Ministry of Home Affairs, New Delhi on a plain paper and shall be accompanied by a fee of Rs. 1000/- (One Thousand only) in the form of a demand draft or a banker's cheque in favour of the "Pay and Accounts Officer, Ministry of Home Affairs", payable at New Delhi.

22. Returns by the Investigating Agency to the Central Government. - The Central Bureau of Investigation or any other Government investigating agency that conducts any investigation under the Act shall furnish reports to the Central Government, on a quarterly basis, indicating the status of each case that was entrusted to it, including information regarding the case number, date of registration, date of filing charge sheet, court before which it has been filed, progress of trial, date of judgment and the conclusion of each case.

23. Authority to whom an application or intimation to be sent. - Any information or intimation about political or speculative activities of a person as mentioned in rule 3 or rule 4, shall be furnished to the Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs, New Delhi. Such information or intimation shall be sent by registered post.

24. Procedure for transferring foreign contribution to other registered or unregistered persons. -

(1) Any person intending to transfer the foreign contribution may make an application to the Central Government in Form FC-10.

(2) The Central Government may permit the transfer in respect of a person who has been granted the certificate of registration or prior permission under section 11 of the Act, in case the recipient person has not been proceeded against under any provision of the Act.

(3) Any transfer of foreign contribution shall be reflected in the returns in Form FC-6 as well as in Form FC-10 by the transferor and the recipient.

(4) In case the foreign contribution is proposed to be transferred to a person who has not been granted a certificate of registration or prior permission by the Central Government, the person concerned may apply for permission to the Central Government to transfer a part of the foreign contribution, not exceeding ten per cent, of the total value of the foreign contribution received. The application shall be countersigned by the District Magistrate having jurisdiction in the place where the transferred funds are sought to be utilised. The District Magistrate concerned shall take an appropriate decision in the matter within sixty days of the receipt of such request from the person. The donor shall not transfer any foreign contribution until the Central Government has approved the transfer.

[F. No. II/21022/10(1)/2010-FC-III]

(G.V.V. SARMA), Jt. Secy

FORM FC-I

[See rule 6]

The Secretary to the Government of India,

Ministry of Home Affairs,

FCRA Wing / Foreigners Division,

"Jaisalmer House",

26, Mansingh Road,

New Delhi - 110 011.

Subject: Intimation to the Central Government of receipt of foreign contribution by way of gift from relative:

1. Name of the recipient in full (*in block letters*):

2. Date of birth:

3. Name of Father/Husband:

4. Permanent address:

5. P.A.N. of the recipient in India:

6. Amount of foreign contribution received, if it exceeds Rs. 1 lakh or equivalent in a financial year:

7. Amount and the Number of the Bank Draft or telegraphic transfer or other communication including the Bank Details:

8. Income-tax registration number of the relative abroad and the name of the country of residence:

9. Name of the relative and relationship thereof, nationality and passport details:

DECLARATION

I hereby declare that the above particulars furnished by me are true and correct.

Place:

Date:

Signature of the applicant

(Name, *in block letters*)

FORM FC-2

[See rule 7(1)]

The Secretary to the Government of India,

Ministry of Home Affairs,

FCRA Wing / Foreigners Division,

"Jaisalmer House",

26, Mansingh Road,

New Delhi - 110 011.

Subject: Application for seeking prior permission of the Central Government to accept foreign hospitality:

[Note: For foreign hospitality availed in case of emergent medical aid situation, intimation to be given on plain paper to the Secretary, Ministry of Home Affairs at the address mentioned in FORM FC-2, within sixty days of such receipt of foreign hospitality.]

1. Name in full (*block letters*):

2. Date of Birth:

3. Name of father/husband:

4. Present address:

5. Permanent address:

6. Passport particulars (*if already in possession*):

7. Status: -

- (a) Member of Legislature:
- (b) Office bearer of a political party:
- (c) Judge of Supreme Court/High Court:
- (d) Government servant:
- (e) Employee of a Company/Corporation:
- (f) Any other person or class of persons not specified in section 6

8. Names of countries/places to be visited with duration of stay:

9. The countries and places where foreign hospitality is to be accepted:

10. Duration and purpose of visit to the country(s)/place(s) mentioned in Column 9 with specific dates:

11. Particulars of host(s): -

(a) If an individual, his personal particulars including name, present address, permanent address, nationality, profession:

(b) If an Organisation/Institution/Association/Trust/ Foundation/Trade Union etc., full particulars thereof including -

(i) Full name and complete address:

(ii) Address of Head office/Principal office:

(iii) Aims and Objects:

(iv) Particulars of important office bearers:

12. *Full particulars, as in Column 11(a) and (b) of the foreign source, in case the actual source extending the hospitality is located in a country other than actually proposed to be visited:

13. Nature and duration of foreign hospitality* proposed to be accepted with specific dates and with specific details:

14. Nature of connection/dealing with the host and/or foreign source extending the hospitality:

15. Approximate expenditure to be incurred on hospitality:

16. Any other information of significance which the applicant may like to furnish:

DECLARATION

I hereby declare that the above particulars furnished by me are true and correct.

Place:

Date:

Signature of the applicant

(Name, in block letters)

* Delete if not applicable.

FORM FC-3

[See rule 9 (1) (a)]

No. _____

Date _____

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Home Affairs,
FCRA Wing / Foreigners Division,
"Jaisalmer House",
26, Mansingh Road,
New Delhi - 110 011.

Sub: Application for 'registration' under section 11(1) of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 for the acceptance of foreign contribution by an Association having definite cultural, economic, educational, religious or social programme:

Sir, -

I _____ on behalf of the Association named hereafter apply for registration of the Association under clause (a) of sub-section (1) of section 6 of the Act for the acceptance of foreign contribution as per details given below:

1. (i) Name of the Association and its complete postal address:

Name:

Address:

Town/City:

District:

State:

Pin Code:

(c) Telephone No. of the Association (with STD code):

(d) Telephone no. (with STD code) / Mobile no. ~ of the Chief Functionary:

(e) e-Mail address:

(ii) If the Association is a registered Trust or Society please indicate its:

- (a) registration number:
 (b) place of registration:
 (c) date of registration:
 (certified copy of the registration certificate to be attached).
 (d) PAN No.:
 (iii) Nature of Association:
 (a) religious (b) cultural (c) economic (d) educational (e) social
 Note: If a religious Association, state whether (a) Hindu (b) Sikh (c) Muslim (d) Christian (e) Buddhist (f) Others.
 (iv) Please indicate:
 (a) Main aim(s) and object(s) of the Association (enclose a copy of the Memorandum of Association and/or the Articles of Association, if applicable);
 (b) Main object(s) and definite programme(s) for which the foreign contribution is to be accepted/utilised;
 (v) Details of names and addresses of the members of the Executive Committee/Governing Council etc. of the Association, starting with the Chief Functionary, in the following table:

Sl. No.	Name	Name of father/husband	Nationality	Occupation with address of place of work (at the time of filing the application. Phone/mobile no. if available.)	Post held in the Association	Relationship with other Member(s) of the Exe. Council / Governing body	Address for correspondence

2. Enclosed/attached, fee of Rupees (in words) _____ only remitted by _____ (name of Bank & branch) Demand Draft/Bankers Cheque No. _____ dated _____ (in day/mm/year format)

3. Whether any Member of the Executive Committee /Governing Council etc. of the Association, including the Chief Functionary has, in the discharge of his/her official functions or private conduct:

- (a) been convicted by any court of law:
 (b) a prosecution for any offence pending against him/her:
 (c) been found guilty of diversion or mis-utilisation of funds of the Association or any other Association in the past:
 (d) has not been prohibited from accepting foreign contribution:
 (e) is a Member or Chief Functionary of any other Association against whom an order under section 13 or 14 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) has been passed:

4. Whether the applicant Association:

- (a) is a branch/unit/associate of foreign based organisation or another Association already registered or granted prior permission under the Act. If so, name and address of the parent organisation should be furnished:
 (b) attracts section 10 of the Act, if so details of the order passed by the Central Government:
 (c) section 11(3) of the Act:
 (c) has been directed in terms of section 9 (a) of the Act to seek prior permission by the Central Government. If so, the number and date of the relevant order:
 (d) had earlier been proceeded against as per provision of the Foreign Contribution (Regulation) Act 1976 (49 of 1976):

5. Whether:

- (i) (a) the association was granted prior permission to receive foreign contribution under the Act or the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976) in the past. If so, the Ministry of Home Affairs letter number with date granting such prior permission:

- (b) whether the account of the receipt and utilisation of the foreign contribution received above was sent to the Central Government in the prescribed Form. If so, the date of submission of the accounts:

(ii) Whether:

- (a) the Association has received foreign contribution without the prior permission under the Act in the past. If so, full particulars of the foreign contribution received along with complete address of the bank branch and bank account number in which deposited should be furnished:

(b) said violation has been condoned by the Central Government:

(c) Association has been prohibited from accepting foreign contribution under the Act:

6. Whether the Association is functioning as editor, owner, printer or publisher of a publication required to be registered as "newspaper" under the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867). If so, the details thereof:

7. Whether:

(i) the Association ever applied for registration under the Foreign Contribution (Regulation) Act 2010 (42 of 2010), and if so,

(a) the number & date of submission of application for registration:

(b) the number & date of the last communication, if any, received from the Ministry:

(c) whether registration was refused:

(d) whether application for registration is still pending:

(iii) whether the Association ever applied for prior permission under the Foreign Contribution (Regulation) Act 2010 (42 of 2010), and if so,

(a) the number & date of submission of application for prior permission:

(b) the number & date of the last communication, if any, received from the Ministry:

(c) whether prior permission was refused:

(d) whether application for prior permission is still pending:

(iv) whether the Association has close links with another Association, or its unit or branch which has been,

(a) refused registration / prior permission under the Act:

(b) prohibited from accepting foreign contribution:

8. Details of:

(i) the activities of the Association during the past three years:

(ii) the audited statement of accounts of the Association for the past three years:

(iii) the area(s) of operation:

9. Whether the Association has been specified as an organisation of a political nature, not being a political party, under section 5 of the Act. If so, the details of the notification should be furnished:

10. Details of Bank:

(i) the name and address of the branch of the bank through which the foreign contribution shall be received:

(ii) the account number in the said branch of the bank:

11. Whether the Organisation/Association has been blacklisted/debarred from receiving any aid and/or assistance by any other Ministry/Department of Central Government and/or State Government or Statutory Authority, if so the details thereof:

12. Whether a recommendation certificate from any competent authority is attached, (and if so, the details):

13. Any other information, which the Association may like to furnish:

Yours faithfully,

Signature of the Chief Functionary

[Name of the Chief Functionary in block letters]

(Seal of the Association)

Declaration and Undertaking

I hereby declare that the above particulars furnished by me are true and correct and undertake to:

(i) to inform the Central Government (Ministry of Home Affairs) within thirty days, if any change takes place in regard to the name of the Association, its address, its registration, its nature, its aims and objects together with documentary evidence effecting the change.

(ii) to obtain prior permission for change of Members of the Executive Committee / Governing Council, if, at any point of time, such change causes replacement of 50% or more of such Members as were mentioned in the application no. _____ dated _____ for registration under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) and undertake further not to accept any foreign contribution except with prior permission till the permission to replace the office-bearer(s) has been granted.

(iii) not to change the Bank and/or branch of the Bank without prior permission of the Central Government [the reason(s) for change of bank or branch of the bank shall have to be relevant and justifiable], and,

Note: Proforma for change of Bank (or in the branch of the existing bank where exclusive foreign account number is being maintained) or Bank account is available in Ministry of Home Affairs web site _____

(iv) not to accept any foreign contribution unless either registration certificate, as applied for hereinabove, or prior permission of the Central Government under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) is granted.

Place:

Date:

List of enclosures attached

With this application:

- 1.
- 2.
- 3.

Signature of the Chief Functionary
[Name of the Chief Functionary in block letters]
(Seal of the Organisation/Association)

Note:-

1. Receipt of application for registration is not a commitment for grant of registration by the Central Government.
2. An incomplete application i.e., without necessary document(s)/detail(s)/explanation(s) is liable to be rejected summarily.
3. In case the space against any column is insufficient, separate sheet should be attached.
4. Please use BLOCK LETTERS.
5. The application should be signed by the Chief Functionary of the Association.

CERTIFICATE

Recommending grant of registration to receive foreign contribution under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010)

This is to certify that the _____ (Name of the Association) having its registered office at _____ (Address) has been engaged in undertaking welfare activities in its chosen _____ (Economic, Educational, Cultural, Religious or Social)[@] field. Its aims and objects are to

The antecedents of the Association and the Member(s) of the Executive Committee / Governing Council (including the Chief Functionary) have been verified and nothing adverse has come to notice.

2. It has undertaken commendable welfare activities in the area and has incurred substantial expenditure (excluding administrative expenditure) amounting to Rs _____ during the last three years on its chosen _____ (Economic, Educational, Cultural, Religious or Social) field of activity.

3. Grant of registration to the aforementioned Association to accept foreign contribution under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) is recommended.

(Recommending Authority)**
(Seal of the Recommending Authority)

[@] Strike out which is not applicable

- **** (i) District Collector / District Magistrate
(ii) Ministry/Department of the State Government
(iii) Ministry /Department of the Central Government.

FORM FC-4
[See rule 9 (2) (a)]

No. _____

Date _____

**The Secretary to the Government of India,
Ministry of Home Affairs,
FCRA Wing / Foreigners Division,
"Jaisalmer House",
26, Mansingh Road,
New Delhi - 110 011.**

Sub: Application for 'prior permission' under sub-section (2) of section 11 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) for the acceptance of foreign contribution by an Association having definite cultural, economic, educational, religious or social programme:

Sir,

I _____ as an individual*, Hindu Undivided Family/association/company registered under section 25 of the Companies Act 1956 (1 of 1956), furnish the following details and apply for prior permission of the Central Government for the acceptance of foreign contribution under the proviso to sub-section (2) of section 11 of the Act :

1. (i) Name of the Association and its complete postal address:

(a) Name:

(b) Address:

Town/City:

District:

State:

Pin Code:

(c) Telephone No. of the Association (with STD code):

(d) Telephone no. (with STD code) / Mobile no. ~ of the Chief Functionary:

(e) e-Mail address:

(ii) If the Association is a registered Trust or Society please indicate its:

(a) registration number:

(b) place of registration:

(c) date of registration:

(certified copy of the registration certificate to be attached).

(d) PAN No.:

(iii) Nature of Association:

(a) religious (b) cultural (c) economic (d) educational (e) social:

Note: If a religious Association, state whether (a) Hindu (b) Sikh (c) Muslim (d) Christian (e) Buddhist (f) Others.

(iv) Please indicate:

(a) Main aim(s) and object(s) of the Association (enclose a copy of the Memorandum of Association and/or the Articles of Association, if applicable);

(b) Main object(s) and definite programme(s) for which the foreign contribution is to be accepted/utilised:

(v) Details of names and addresses of the members of the Executive Committee/Governing Council etc. of the Association, starting with the Chief Functionary, in the following table:

Sl. No.	Name	Name of father/husband	Nationality	Occupation with address of place of work (at the time of filing the application. Phone/mobile no if available)	Post held in the Association	Relationship with other Member(s) of the Exe. Council / Governing body	Address for correspondence

(vi.) If this association is branch/unit/associate of any organisation based abroad or of another association already registered or granted prior permission under the Act, the name and address of the parent organisation:

2. Details of Fee: An amount of Rs. _____ (Rupees in words _____) towards obtaining prior permission for receipt of foreign contribution is remitted by way of demand draft/bankers cheque drawn in favour of the "Pay and Accounts Office, Ministry of Home Affairs viz. DD No. _____ dated _____ Name of the Bank _____

3. Whether any Member of the Executive Committee /Governing Council etc. of the Association, including the Chief Functionary has, in the discharge of his/her official functions or private conduct**:

(a) been convicted by any court of law:

(b) a prosecution for any offence pending against him/her:

(c) been found guilty of diversion or mis-utilisation of funds of the Association or any other Association in the past:

(d) has been prohibited from accepting foreign contribution:

4. Whether:

(i) the Association ever applied for registration under the Foreign Contribution (Regulation) Act 2010 (42 of 2010), and if so,

(a) the number & date of submission of application for registration:

(b) the number & date of the last communication, if any, received from the Ministry:

(c) whether registration was refused:

(d) whether application for registration is still pending:

(ii) whether the Association ever applied for prior permission under the Foreign Contribution (Regulation) Act 2010 (42 of 2010), and if so, -

(a) the number & date of submission of application for prior permission:

(b) the number & date of the last communication, if any, received from the Ministry:

(c) whether prior permission was refused:

(d) whether application for prior permission is still pending:

(iii) whether the Association has close links with another Association, or its unit or branch which has been,

(a) refused registration / prior permission under the Act:

(b) prohibited from accepting foreign contribution:

5. Whether the applicant Association:

- (a) is a branch/unit/associate of foreign based organisation or another Association already registered or granted prior permission under the Act. If so, name and address of the parent organisation should be furnished:
- (b) attracts section 10 of the Act, if so details of the order passed by the Central Government:
- (c) attracts sub-section 3 of section 11 clause (a) of the Act:
- (d) has been directed in terms of clause (a) of section 9 (a) of the Act to seek prior permission by the Central Government. If so, the number and date of the relevant order:
- (d) had earlier been proceeded against as per the provisions of the Foreign Contribution (Regulation) Act 1976 (49 of 1976):

6. Whether:

- (i) (a) the association was granted prior permission to receive foreign contribution under the Act. If so, the Ministry of Home Affairs letter number with date granting such prior permission:
- (b) whether the account of the receipt and utilisation of the foreign contribution received above was sent to the Central Government in the prescribed FC-3 Form. The date of submission of the accounts be indicated:

(ii) Whether:

- (a) the Association has received foreign contribution without the prior permission under the Act in the past. If so, full particulars of the foreign contribution received along with complete address of the bank branch and bank account number in which deposited should be furnished:

- (b) said violation has been condoned by the Central Government:

7. I affirm that the applicant Association is not an owner, printer, publisher, editor of a publication which is registered as "newspaper" under the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867).

8. I affirm that the applicant association is not engaged in the production or broadcast of audio/visual news or current affairs programmes through any electronic mode, or any other electronic form as defined in clause (r) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) or any other mode of mass communication.

9. I affirm that the Organisation/Association has not been blacklisted/debarred from receiving any aid and/or assistance by any other Ministry/Department of Central and/or State Government or Statutory Authority.

10. I am enclosing the documents showing the detailed activities of the association during the past three years.

11. I am enclosing the copies of audited statement of accounts of the association for the past three years duly certified by the Chartered Accountant.

12. Data on commitment receipt from donor:

- (a) Nature (cash/kind) and value of the foreign contribution to be received:
- (b) Purpose for which foreign contribution is proposed to be received and utilised indicating the geographical area(s) to be covered:
- (c) A copy of the latest commitment letter from the donor is furnished:
- (d) A copy of the proposal/project which has been approved by the foreign source for funding, including projected outlays, budget breakups is enclosed.

13. Details of Bank:

- (i) Name and address of the branch of the bank through which the foreign contribution is proposed to be received:
- (ii) The account number in the said branch of the bank:

14. Details of foreign source/sources* from which the foreign contribution is proposed to be received:**

- (i) If an individual, the personal particulars including name, present address, permanent address, nationality and profession:
- (ii) If an organisation/institution/ association/ trust/ trade union etc full particulars thereof, including
 - (a) Full name and complete address:
 - (b) Address of the Head Office/Principal Office
 - (c) Particulars of Chief Functionary and Important Office Bearers:

- (iii) Whether the foreign source is a Government of a Foreign Country or agency thereof, if so, give details:

Yours faithfully,

Signature of the Chief Functionary

[Name of the Chief Functionary in block letters]

(Seal of the Association)

Declaration and Undertaking

I hereby declare that the above particulars furnished by me are true and correct and undertake to:

- (i) to inform the Central Government (Ministry of Home Affairs) within thirty days, if any change takes place in regard to the name of the Association, its address, its registration, its nature, its aims and objects together with documentary evidence effecting the change.

- (ii) to intimate within thirty days regarding the change of Members of the Executive Committee / Governing Council, if, at any point of time, such change causes replacement of 50% or more of such Members as were mentioned in the application no. _____ dated _____ for registration under the Foreign Contribution(Regulation)Act,

2010 (42 of 2010) and undertake further not to accept any foreign contribution except with prior permission till the permission to replace the office-bearer(s) has been granted.

(iii) not to change the Bank and/or branch of the Bank without prior permission of the Central Government *[the reason(s) for change of bank or branch of the bank shall have to be relevant and justifiable]* and,

Note: Proforma for change of Bank (or in the branch of the existing bank where exclusive foreign account number is being maintained) or Bank account is available in Ministry of Home Affairs web site

(iv) not to accept any foreign contribution unless either registration certificate, as applied for hereinabove, or prior permission of the Central Government under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) is granted.

Place:

Date:

List of enclosures attached with this application:

- 1.
- 2.
- 3.

Signature of the Chief Functionary

[Name of the Chief Functionary in block letters]

(Seal of the Organisation/Association)

Instructions for filling up the form:

* Please strike off which ever is not applicable. The same instruction applies in respect of choices provided elsewhere in this form.

** If any of the replies to the four parts in item 3 is "yes", then full details of the case including the present status of the case must be given, if required on a separate page.

*** If the foreign contribution, whether currency or article, is to be received from any person or association who has received the same as first, second or subsequent recipient, particulars of such person or association should be given against column 11 above.

1. Receipt of application for prior permission is not a commitment for approval by the Central Government.
2. An incomplete application i.e., without necessary document(s)/detail(s)/explanation(s) is liable to be rejected summarily.
3. In case the space against any column is insufficient, separate sheet should be attached.
4. Please use BLOCK LETTERS.

CERTIFICATE

Recommending grant of prior permission to receive foreign contribution under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010)

This is to certify that the _____ (Name of the Association) having its registered office at _____ (Address) has been engaged in undertaking welfare activities in its chosen _____ (Economic, Educational, Cultural, Religious or Social)[@] field. Its aims and objects are to

The antecedents of the Association and the Member(s) of the Executive Committee / Governing Council (including the Chief Functionary) has been verified and nothing adverse have come to notice.

2. It has undertaken commendable welfare activities in the area and has incurred substantial expenditure (excluding administrative expenditure) amounting to Rs _____ during the last three years on its chosen _____ (Economic, Educational, Cultural, Religious and Social) field of activity.

3. Grant of prior permission to the aforementioned Association to accept foreign contribution under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) is recommended.

(Recommending Authority)**

(Seal of the Recommending Authority)

[@] Strike out which is not applicable

- ** (i) District Collector / District Magistrate
(ii) Ministry/Department of the State Government
(iii) Ministry /Department of the Central Government.

FORM FC -5

[See rule 12(2)]

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Home Affairs,
FCRA Wing / Foreigners Division,
"Jaisalmer House",
26, Mansingh Road,
New Delhi - 110 011.

Sub: Application for seeking renewal of 'registration certificate' under section 13 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010). (Application for renewal to be submitted six months before the date of expiry of the certificate of registration):

Dear Sir,

I _____, on behalf of the Association named hereafter apply for seeking renewal of 'registration certificate', as per details given below:

1. Name of the Association and its complete postal address:

(a) Name:

(b) Address:

Town/City:

District:

State:

Pin Code:

(c) Telephone No. of the Association (with STD code):

(d) Telephone no. (with STD code) / Mobile no. ~ of the Chief Functionary:

(e) e-Mail address:

(f) Details of names and addresses of the members of the Executive Committee/Governing Council etc. of the Association, starting with the Chief Functionary, in the following table:

Sl. No	Name	Name of father/husband	Nationality	Occupation with address of place of work (at the time of filing the application) (Phone/Mobile no if any)	Post held in the Association	Relationship with other Member(s) of the Exe. Council / Governing body	Address for correspondence

2. Nature of Association:

3. Registration number:

(a) place of registration:

(b) date of registration:

(c) Date of expiry:

(d) PAN No., if any

(certified copy of the registration certificate to be attached).

4. Foreign Contribution received, if any, since its registration with yearly breakup:

5. Details of utilisation of funds:

6. Whether various provisions as stipulated in the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) adhered to:

7. Reasons for seeking renewal of certificate:

8. Details of Fee: An amount of Rs. _____ (Rupees in words _____) towards renewal of registration is remitted by way of demand draft/bankers cheque drawn in favour of "Pay and Accounts Officer, Ministry of Home Affairs viz. DD/Bankers Cheque No. _____ dated _____ Name of the Bank _____

9. Whether the organisation/Association has been blacklisted/debarred from receiving any aid and/or assistance by any other Ministry/Department of Central and/or State Government or Statutory Authority. If so, the details thereof:

10. Any other information which the Association may like to furnish:

I hereby declare that the information furnished above is true and correct.

Signature of the Chief Functionary
[Name of the Chief Functionary in block letters]
(Seal of the Association)

FORM FC -6
[See rule 17 (1)]

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Home Affairs,
FCRA Wing / Foreigners Division,
"Jaisalmer House",
26, Mansingh Road,
New Delhi - 110 011.

Subject: Account of Foreign Contribution for the year ending on the 31st March _____

1. Associations details:

(i) Name and address (in block letters):

(ii) Registration number and date [under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010] (42 of 2010):

(iii) Prior permission number and date, if (ii) above is not applicable:

(iv) Nature of the Association: (a) Cultural (b) Economic (c) Educational (d) Religious (e) Social

(v) Denomination in case of religious Association: (a) Hindu (b) Sikh (c) Muslim (d) Christian (e) Buddhist (f) Others:

2. (i) Total amount of foreign contribution received during the financial year:

(ii) Interest earned on the foreign contribution during the financial year -

(a) In the designated bank account:

(b) On investments made (Fixed Deposit Receipt etc.) during the year or in the preceding years:

3. Purposes for which foreign contribution has been received and utilised:

(in Rupees)

S. No.	Purpose	Previous Balance		Receipt during the year						Utilised		Balance		Places with addresses of specific activities
				As first recipient		As second/su bsequent recipient		Total						
		In cash	In kind (value)	In cash	In kind		In cash	In kind	5+6 +7+ 8	In cash	In kind (value)	In cash	In kind (value)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10. +	11.	12.	13.	14.

1. Celebration of national events (Independence / Republic day) / festivals etc.
2. Theatre / Films.
3. Maintenance of places of historical and cultural importance.
4. Preservation of ancient / tribal art forms.
5. Research.
6. Cultural shows.
7. Setting up and running handicraft centre / cottage and Khadi industry / social forestry projects.
8. Animal husbandry projects.
9. Income generation projects / schemes.
10. Micro-finance projects, including setting up banking co-operatives and self-help groups.
11. Agricultural activity.
12. Rural Development.
13. Construction and maintenance of school / college.
14. Construction and running of hostel for poor students.
15. Grant of stipend / scholarship / assistance in cash and kind to poor / deserving children.
16. Purchase and supply of educational material - books, notebooks etc.
17. Conducting adult literacy programs.
18. Education / Schools for the mentally challenged.
19. Non-formal education projects / coaching classes.
20. Construction / Repair / Maintenance of places of worship.
21. Religious schools / education of priests and preachers.
22. Publication and distribution of religious literature.
23. Religious functions.
24. Maintenance of priests / preachers / other religious functionaries.
25. Construction / Running of hospital / dispensary / clinic.
26. Construction of community halls etc.
27. Construction and Management of old age home.
28. Welfare of the aged / widows.
29. Construction and Management of Orphanage.
30. Welfare of the orphans.
31. Construction and Management of dharamshala / shelter.
32. Holding of free medical / health / family welfare / immunization camps.

33. Supply of free medicine, and medical aid, including hearing aids, visual aids, family planning aids etc.
34. Provision of aids such as Tricycles, calipers etc. to the handicapped.
35. Treatment / Rehabilitation of persons suffering from leprosy.
36. Treatment / Rehabilitation of drug addicts.
37. Welfare / Empowerment of women.
38. Welfare of children.
39. Provision of free clothing / food to the poor, needy and destitute.
40. Relief / Rehabilitation of victims of natural calamities.
41. Help to the victims of riots / other disturbances.
42. Digging of bore wells.
43. Sanitation including community toilets etc.
44. Vocational training – tailoring, motor repairs, computers etc.
45. Awareness Camp / Seminar / Workshop / Meeting / Conference.
46. Providing free legal aid / Running legal aid centre.
47. Holding sports meet.
48. Awareness about Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) / Treatment and rehabilitation of persons affected by AIDS.
49. Welfare of the physically and mentally challenged.
50. Welfare of the Scheduled Castes.
51. Welfare of the Scheduled Tribes.
52. Welfare of the Other Backward Classes.
53. Environmental programs.
54. Survey for socio-economic and other welfare programs.
55. Establishment expenses -
 - (i) Asset building:
 - (a) Establishment of Corpus Fund, and
 - (b) Purchase of land:
 - (ii) Construction / Extension / Maintenance of office, administrative and other buildings, salaries / honorarium:
 - (iii) Publication of newsletter / literature / books etc:
 - (iv) Other expenses:
56. Activities other than those mentioned above (Furnish details).

Total

Caution: Submission of false information or concealment of material facts shall attract the relevant provisions of The Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), warranting appropriate action

4. Name and address of the designated branch of the Bank and account number (as specified in the application for registration / prior permission or permitted by the Central Government).

A/c No:

Bank:

Branch:

Address:

5. Donor wise receipt of foreign contribution:

Sl. No.	Institutional / individual / other donors	Name(s) & address(es)	Purpose(s)	Date & month of receipt	Amount
1.	2.	3.	4.	5.	6.

- (i) From institutional donors:
 - (ii) From individual donor(s), above Rupees One lac:
 - (iii) From individual donor(s), below Rupees One lac:
- Total [(i)+(ii)+(iii)]:

Declaration

I hereby declare that the above particulars furnished by me are true and correct. I also affirm that the foreign contribution has been utilised for the purpose(s) for which the Association has been granted registration or prior permission by the Central Government, to the best of my knowledge. I have not concealed or suppressed any fact.

Place:

Date:

Signature of the Chief Functionary
(Name of the Chief Functionary in block letters)
(Seal of the Association)

Certificate to be given by Chartered Accountant

I/We have audited the account of _____ (name of Association and its full address including State, District and Pin Code, if registered society, its registration number and State of registration) for the year ending the 31st March _____ and examined all relevant books and vouchers and certify that according to the audited account:

- (i) the brought forward foreign contribution at the beginning of the year was Rs _____;
- (ii) foreign contribution of/worth Rs _____ was received by the Association during the year _____;
- (iii) the balance of unutilised foreign contribution with the Association at the end of the year _____ was Rs _____;
- (iv) Certified that the Association has maintained the accounts of foreign contribution and records relating thereto in the manner specified in section 19 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) read with rule 16 of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011.
- (v) The information in this certificate and in the enclosed Balance Sheet and statement of Receipt and Payment is correct as checked by me/us.

Place:

Date:

Signature of Chartered Accountant
(Seal, Address and Registration number)

FORM FC -7

[See rule 17 (3)]

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Home Affairs,
FCRA Wing / Foreigners Division,
"Jaisalmer House",
26, Mansingh Road,
New Delhi - 110 011.

Subject: Intimation about Foreign Contribution (Articles) Account:

DESCRIPTION OF THE ARTICLE: _____

Receipt							Utilisation/ Disposal		Quantity						
Date	Name and address of the person from whom received	Mode of receipt	Purpose of receipt	Quantity received	Approximate value of articles received	Date of intimation sent to the Central Government	Date	Name and address of the person to whom issued sold or otherwise transferred	Purpose for which issued or otherwise transferred	Utilised by the Organisation	Sold	Otherwise transferred	if sold then amount for which sold	Reference to entry in the Foreign Contribution (Currency) Account	Balance in Stock
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

DECLARATION

I hereby declare that the above particulars furnished by me are true and correct.

Place:

Date:

Signature of the Chief Functionary
(Name of the Chief Functionary in block letters)
(Seal of the Association)

Certificate to be given by Chartered Accountant

I/We have audited the account of _____ (name of Association and its full address including State, District and Pin Code, if registered society, its registration number and State of registration) for the year ending the 31st March _____ and examined all relevant books and vouchers and certify that according to the audited account:

- (i) the brought forward foreign contribution, in kind, at the beginning of the year was Rs _____;
- (ii) foreign contribution, in kind worth Rs _____ was received by the Association during the year _____;
- (iii) (a) the balance of unutilised foreign contribution, in kind, with the Association at the end of the year _____ was worth Rs _____;
- (b) That the whole of foreign contribution received in kind has been utilised, leaving no balance at the end of the financial year (strike out whichever is not applicable)
- (iv) Certified that the Association has maintained the accounts of foreign contribution and records relating thereto in the manner specified in section 13 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) read with sub-rule (1) of rule 8 of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011.
- (v) The information in this certificate and in the enclosed Balance Sheet and statement of Receipt and Payment is correct as checked by me/us.

Place:

Date:

Signature of Chartered Accountant
(Seal, Address and Registration number)

FORM FC - 8

[See rule 17(4)]

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Home Affairs,
FCRA Wing / Foreigners Division,
"Jaisalmer House",
26, Mansingh Road,
New Delhi - 110 011.

Subject: Intimation about foreign contribution (securities) Account:

(Description to be provided in the existing format (old) - Rule 8(c), Foreign Contribution (Regulation) Rules, 1976 refers)

1. Name of Securities:
2. Nominal value of each security:

Date	Name & address of the person from whom received	Distinguishing number of each security	Total of securities	Total nominal value of securities	Particulars of permission of the Reserve Bank of India to acquire or to hold Foreign securities	Particulars of intimation sent to the Central Government	Date	Dividends or interest received	Dates upto which dividend or interest has been received.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Details of dividends/interest received

Reference to the Credit entry in the Foreign Contribution Currency Account	Date	Name and address of the person to whom sold/transferred	Total No. of Securities sold/transferred	distinguishing no. of each security transferred	Total amount for which sold/transferred	Particulars of permission of the RBI to sell/transfer securities	Particulars of intimation sent to the Central Government	Reference to the entry in the Foreign Contribution Currency Account.
11	12	13	14	15	16	17	18	19

DECLARATION

I hereby declare that the above particulars furnished by me are true and correct.

Place:

Date:

Signature of the Chief Functionary
(Name of the Chief Functionary in block letters)
(Seal of the Association)

Certificate to be given by Chartered Accountant

I/We have audited the account of _____ (name of Association and its full address including State, District and Pin Code, if registered society, its registration number and State of registration) for the year ending the 31st March _____ and examined all relevant books and vouchers and certify that according to the audited account:

- (i) the brought forward investment(s) in securities at the beginning of the year was Rs _____;
- (ii) that further investment(s) in securities worth Rs _____ was made by the Association during the year _____;
- (iii) the total value of investment in securities made by the Association at the end of the year _____ was worth Rs _____;
- (iv) Certified that the Association has maintained the accounts of foreign contribution and records relating thereto in the manner specified in Section 13 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) read with sub-rule (1) of rule 8 of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011.
- (v) The information in this certificate and in the enclosed Balance Sheet and statement of Receipt and Payment is correct as checked by me/us.

Place:

Date:

Signature of Chartered Accountant
(Seal, Address and Registration number)

FORM FC-9

[See rule 18]

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Home Affairs,
FCRA Wing / Foreigners Division,
"Jaisalmer House",
26, Mansingh Road,
New Delhi - 110 011.

Subject: Intimation to the Central Government of Receipt of Foreign Contribution received by a candidate for Election [section 21 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010):

(Every Candidate for election shall intimate to the Central Government, within 45 days from the date on which he is duly nominated as a candidate for election, the details of the foreign contribution received by him, any time within 180 days immediately preceding the date of his nomination, in Form FC-9)

1. Name in full (in block letters):
2. Date of birth:
3. Name of father:
4. Present Address:
5. Permanent Address:
6. Date on which duly nominated as a candidate for election to a Legislature and particulars of Legislature:
(See section 21 of the Act)
7. Full particulars of foreign contribution received within 180 days immediately preceding the date on which duly nominated as a candidate for election:
8. Nature (cash and/or kind) and full details of foreign contribution including value:
9. The mode, channel of receipt:

10. Purpose for which contribution was received:
11. Particulars of the foreign source from which contribution received:
 - (a) If an individual, his personal particulars including name, present address, permanent address, nationality, profession:
 - (b) If an Organisation / Institution / Association / Trust / Foundation / Trade Union etc. full particulars thereof including:
 - (i) Full name and complete address.
 - (ii) Address of Head Office/Principal Office.
 - (iii) Aims and objects.
 - (iv) Particulars of important office bearers.
12. Nature of connection/dealings with the foreign source(s):
13. Details of actual utilisation of the contribution:
 - (a) Specific purposes for which utilised.
 - (b) Full description of the manner in which utilised.
14. Any other information of significance which the applicant may like to furnish:

Declaration

I hereby declare that the above particulars furnished by me are true and correct.

Place:

Date:

Signature of the candidate
(Name, in block letters)

Certificate

Certified that the above declaration was signed by Smt/Shri/Ku.....
S/o.....resident of a candidate for election to
(*).....before me, on this date day of month & year.

Signature
(Name, in block letters)
Designation

(to be signed by a Group A Gazetted Officer** or 1st Class Magistrate).

* Here specify 'Legislature' as defined in section 21 of the Act.

** of the State/Central Government.

FORM FC-10

[See rule 24 (1)]

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Home Affairs,
FCRA Wing / Foreigners Division,
"Jaisalmer House", 26, Mansingh Road,
New Delhi - 110 011.

Subject: Application for seeking permission for transfer of foreign contribution to other registered/un-registered persons:

Sir,

I _____, on behalf of the Association named hereafter apply for seeking permission of the Central Government under section.....of Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) for transfer of foreign contribution to other registered/un-registered persons, as per details given below:

1. Details of the applicant/ transferor association:

(a) Name:

(b) Address:

Town/City:

District:

State:

Pin Code:

(c) Telephone No. of the Association (with STD code):

- (d) Telephone no. (with STD code) / Mobile no. ~ of the Chief Functionary:
(e) e-Mail address:
(f) Registration certificate/Prior permission order details:
(i) Registration No. (Under FCRA):
(ii) If not registered under FCRA, prior permission order no. with date:
(Certified copy of the registration certificate/prior permission order to be attached)
2. Details of the recipient /transferee association:
(a) Name:
(b) Address:
Town/City:
District:
State:
Pin Code:
(c) Telephone No. of the Association (with STD code):
(d) Telephone no. (with STD code) / Mobile no. ~ of the Chief Functionary:
(e) e-Mail address
- (i) Whether registered under the Foreign Contribution Regulation Act, 1976 (49 of 1976) : yes/no
(a) if yes, details thereof (registration no., date of registration):
(certified copy of the registration certificate to be attached)
(b) If no, furnish the details if it is registered under the Indian Trust Act 1882 (2 of 1882) or the Societies Registration Act- 1860 (21 of 1860) or the Companies Act 1956 (1 of 1956).
(a) Registration number:
(b) Place of registration:
(c) Date of registration:
(certified copy of the registration certificate to be attached).
(d) PAN No., if any:
3. Amount of Foreign contribution to be transferred:
4. Mode of the proposed transfer of foreign contribution (cash/cheque/electronic etc):
5. Bank details and account no., in which FC is proposed to be transferred:
(i) Account No. :
(ii) Name of the Bank:
(iii) Address:
6. Any other information which the Association may like to furnish:
I hereby declare that the information furnished above is true and correct.

Signature of the Chief Functionary
[Name of the Chief Functionary in block letters]
(Seal of the Association)